



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०  
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)  
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार  
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

सं०: 4553-मा०सं०-01/विउनि०लि/2021-13-मा०सं०-01/2011(टीसी-2)

दिनांक : 29 नवम्बर, 2021

### कार्यालय ज्ञाप

का०ज्ञा०सं०: 3797-मा०सं०-01/विउनि०लि/2021 दिनांक: 30.10.2021 द्वारा चयन वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त तथा अपट्रॉन इण्डिया लि० से संविलीन सहायक अभियन्ता (वै० एवं यौ०) की अनन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची (Tentative Seniority List) घोषित करते हुए आदेश सं०: 3986-मा०सं०-01/विउनि०लि/2021 दिनांक: 10.11.2021 द्वारा उसके विरुद्ध दिनांक: 20.11.2021 तक सम्बन्धित कार्मिकों से आपत्तियाँ आमंत्रित की गई थीं।

उक्त के कम में दिनांक: 20.11.2021 तक निम्नवत् प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं :-

- 1 श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 11.11.2021
- 2 श्री अमित कुमार वर्मा, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 11.11.2021
- 3 श्री संघ रतन, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 11.11.2021
- 4 श्री अखिलेश कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 5 श्री वैभव प्रताप सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 6 श्री सुनील कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 16.11.2021
- 7 श्री गोपाल कृष्ण, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 8 श्री राम प्यारे, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 16.11.2021
- 9 श्री मुनेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 10 श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 11 मो० फिरोज रफी, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 12 मो० रफी, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 13 श्रीमती एकता ठाकुर, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 14 श्री सूर्य कुमार सागर, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 18.11.2021
- 15 श्री अली नवाज असलम, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 20.11.2021
- 16 श्री मनीष कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 16.11.2021
- 17 श्री बृजेश सिंह यादव, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 16.11.2021
- 18 श्री सुनील कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 16.11.2021
- 19 श्री अरविन्द चौहान, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 16.11.2021
- 20 श्री अभय कुमार केसरवानी, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 21 श्री नवीन कुमार चौधरी, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 16.11.2021
- 22 श्री हेमन्त कुमार यादव, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 23 श्री संजीव यादव, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 24 श्री अमरेश कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 25 श्री ललित कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021

कमश:.....2

29/11/2021

- 26 श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 27 श्री श्रीकान्त वर्मा, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 28 श्री रवि शशिकांत कुरील, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: शून्य
- 29 श्री संदीप कुमार चौहान, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 18.11.2021
- 30 श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 18.11.2021
- 31 श्री मोहम्मद शाहिद, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 18.11.2021
- 32 श्री सौदान सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 17.11.2021
- 33 श्री धीरेन्द्र कुमार पाल, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 16.11.2021
- 34 श्री अमित वर्मा, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: शून्य
- 35 श्री अविनाश मौर्य, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 17.11.2021
- 36 श्री रवि दत्त, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 17.11.2021
- 37 श्री अशोक कुमार आर्य, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 16.11.2021
- 38 श्री छतरपाल सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 16.11.2021
- 39 श्री अरुण कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 16.11.2021
- 40 श्री भूपेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 20.11.2021
- 41 श्री अभय कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 20.11.2021
- 42 श्री पंकज शर्मा, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 18.11.2021
- 43 श्री मनोज कुमार गुप्ता, प्रोन्नत सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 12.11.2021
- 44 श्री राजेन्द्र कृष्ण, प्रोन्नत सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 20.11.2021
- 45 श्री विजय कुमार, प्रोन्नत सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 12.11.2021
- 46 श्री चरन सिंह, प्रोन्नत सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 47 श्री नीरज कुमार, प्रोन्नत सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 48 श्री सुरेन्द्र सिंह, प्रोन्नत सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 49 श्री विक्रम यादव, प्रोन्नत सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 50 श्री जीतेन्द्र कुमार, प्रोन्नत सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 51 श्री अरुण सिंह कुशवाहा, प्रोन्नत सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 52 श्री राजेन्द्र वर्मा, प्रोन्नत सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 53 श्री रमेश कुमार सिंह व 16 अन्य, प्रोन्नत सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: शून्य
- 54 श्री ए0के0 सिंह व 11 अन्य, प्रोन्नत सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: शून्य
- 55 श्री अतर सिंह, (सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता) का पत्र दिनांक: 11.11.2021
- 56 श्री जगदीश प्रसाद, अवर अभियन्ता का पत्र दिनांक: 11.11.2021
- 57 श्री महावीर प्रसाद, अवर अभियन्ता का पत्र दिनांक: 12.11.2021
- 58 श्री संदीप कुमार, अवर अभियन्ता का पत्र दिनांक: 13.11.2021
- 59 श्री राजीव गौतम पुरी, अवर अभियन्ता का पत्र दिनांक: 11.11.2021
- 60 श्री रामजी, अवर अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 61 श्री अजय कुमार बन्धु, अवर अभियन्ता का पत्र दिनांक: शून्य
- 62 राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उ0प्र0 का पत्र संख्या: 162/डीजी-10 दिनांक: 11.11.2021
- 63 उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम अधिकारी एसोसिएशन, का पत्र संख्या: 07/अधि0एसो0/उपा0 दिनांक: 14.11.2021

क्रमशः.....3

29/11/2021

- 64 उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम अधिकारी एसोसिएशन, का पत्र संख्या: 09/अधि0एसो0/अनपरा दिनांक: 08.11.2021
- 65 उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम अधिकारी एसोसिएशन, का पत्र संख्या: 10/अधि0एसो0/अनपरा दिनांक: 11.11.2021
- 66 उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ, का पत्रांक: ए.एस.-/संगठन/2020-22/188 दिनांक: 10.11.2021
- 67 उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ, का पत्रांक: ए.एस.ए./2021/018 दिनांक: 11.11.2021
- 68 श्री शैलेश कुमार, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 13.11.2021
- 69 श्री हरजीत सिंह, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 70 श्री पवन कुमार, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 71 श्री अभिषेक कुमार सिंह, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 13.11.2021
- 72 श्री भूपेन्द्र सिंह व 34 अन्य, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: शून्य
- 73 श्री विजय कुमार सिंह, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 74 श्री पवनेश कुमार, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 75 श्री महावीर प्रसाद, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 76 श्री अमित कुमार गौरव, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: शून्य
- 77 श्री अनिल कुमार सिंह, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 78 श्री अमित कुमार, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 79 श्री महावीर प्रसाद वर्मा, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 80 श्री जितेन्द्र निगम, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 81 श्री विभोर अग्रवाल, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 82 श्री सन्तोष कुमार दुषाद, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 83 श्री प्रशान्त प्रेम, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 84 श्री अंकित कुमार गुप्ता, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 85 श्री जितेन्द्र कुमार, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 86 श्री विरेन्द्र कुमार जौहरवाल, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 87 श्री निशान्त मिश्र, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 15.11.2021
- 88 श्री सन्दीप सिंह, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 17.11.2021
- 89 श्री सौरभ कुमार श्रीवास्तव, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 16.11.2021
- 90 श्री सन्नी कुमार गुप्ता, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 16.11.2021
- 91 श्री विवेक कुमार, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 16.11.2021
- 92 श्री मनीष कुमार शाह, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 16.11.2021
- 93 श्री पंकज कुमार, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 16.11.2021
- 94 श्री नितेन्द्र कुमार, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 16.11.2021
- 95 श्री आशीष शर्मा, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 16.11.2021
- 96 श्री संजय कुमार पाण्डेय, सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 16.11.2021
- 97 श्रीमती रितु सिंह, 2008 बैच के सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 18.11.2021
- 98 श्री सुबास चन्द्र सरोज, 2008 बैच के सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 19.11.2021
- 99 श्री अमित कुमार गुप्ता, 2008 बैच के सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक:रहित

2  
25/11/2021

- 100 श्री कुश कुमार, 2008 बैच के सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 19.11.2021
- 101 श्री शशांक चौधरी, 2008 बैच के सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 17.11.2021
- 102 श्री पंकज चतुर्वेदी, 2008 बैच के सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 17.11.2021
- 103 श्री अजय द्विवेदी, 2008 बैच के सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: 17.11.2021
- 104 श्री धर्मेन्द्र सिंह, 2008 बैच के सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 17.11.2021
- 105 श्री अतुल कुमार राय, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 20.11.2021
- 106 श्री मो0 रियाजउद्दीन एवं 22 अन्य, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 17.11.2021
- 107 श्री कृपा शंकर मौर्य, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 14.11.2021
- 108 श्री मुन्नी लाल, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 12.11.2021
- 109 श्री मोती लाल यादव, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 13.11.2021
- 110 श्री रियासत अली, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 12.11.2021
- 111 श्री परम वीर सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 14.11.2021
- 112 श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 13.11.2021
- 113 श्री अरूण कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 12.11.2021
- 114 श्री कमलेन्दु कुमार ठाकुर, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांकरहित
- 115 राज्य विद्युत परिषद् जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उ0प्र0 के पत्रांक-166/डीजी-10 दिनांक 15.11.2021
- 116 श्री नीरंजन कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 18.11.2021
- 117 श्री सुरेश मौर्य, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 20.11.2021
- 118 श्री दीपक कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 17.11.2021
- 119 श्री शशि प्रकाश, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 17.11.2021
- 120 श्री राजेश कुमार मौर्य, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 17.11.2021
- 121 श्री अभिमन्यु सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 17.11.2021
- 122 श्री रवि प्रकाश यादव, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 17.11.2021
- 123 श्री बलराम, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 17.11.2021
- 124 श्री मुजीब अहमद, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 20.11.2021
- 125 श्री रिप्जी एहसन, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: शून्य
- 126 श्री नवीन कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांकरहित
- 127 श्री कौशल किशोर प्रजापति, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 17.11.2021
- 128 श्री अभिषेक कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 17.11.2021
- 129 श्री अनूप चन्द्र, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांकरहित
- 130 श्री संतोष कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांकरहित
- 131 श्री रवि गुप्ता, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 19.11.2021
- 132 श्री नीरज सिंह जाटव, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 16.11.2021
- 133 श्री मनीष कुमार मिश्रा, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 20.11.2021
- 134 श्री चन्द्रभानु सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक: शून्य
- 135 श्री एस0के0 आनन्द, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 17.11.2021
- 136 श्री श्याम देव कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांकरहित
- 137 श्री संगीत कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 17.11.2021

- 138 श्री बृजेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 20.11.2021
- 139 श्री विकास सिंह एवं 10 अन्य, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 20.11.2021
- 140 श्री कल्प नाथ वर्मा एवं 5 अन्य, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 20.11.2021
- 141 श्री अभिषेक सक्सेना, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 16.11.2021
- 142 श्री एस0के0 आनन्द, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 17.11.2021
- 143 श्री सुशील कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 19.11.2021
- 144 श्री आनन्द सुमन, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 19.11.2021
- 145 श्री नवीन कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनांक 17.11.2021
- 146 याचिका सं0: 27198/21 संजय कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम उत्पादन निगम लि0 अन्य में प्राप्त आदेश दिनांक: 23.11.2021

उपलिखित 146 प्रत्यावेदनों को आपत्तियों/सहमतियों के आधार पर वर्गीकरण करते हुये उनका अभिकथन निम्नवत् है :-

**(I) ऐसे कार्मिक जिनका नाम निर्गत की गई अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में शामिल है तथा इन्होंने अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध आपत्ति दर्ज की है तथा उसे संशोधित करने का अभिकथन किया है :-**

**(क) क्रमांक 1,2,3, तथा 6** ने अभिकथन किया है कि वर्ष 2008 में उनको दिये गये ट्रेनिंग मैनुअल द्वारा अवगत कराया गया था कि उनकी ज्येष्ठता सूची सेवा आयोग द्वारा लिये गये परीक्षा में प्राप्त अंकों का 60 प्रतिशत तथा ट्रेनिंग में लिये गये परीक्षा में प्राप्त अंकों के 40 प्रतिशत के आधार पर तैयार की जायेगी तथा इसके लिये निगम द्वारा आदेश संख्या-08-UNL/Reform/Regulation/2010/Seniority दिनांक 07.01.2010 निर्गत किया गया था, इसी के आधार पर वह ज्येष्ठता सूची चाहते हैं परन्तु मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच द्वारा उक्त आदेश को भूतलक्षीय मानते हुए दिनांक 30.11.2016 को स्टे लगा दिया गया है जिस पर अन्तिम निर्णय आना प्रतीक्षित है।

उक्त के कम में इन प्रत्यावेदनकर्ताओं द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि विचाराधीन याचिकाओं में अन्तिम निर्णय न आने के कारण निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 28.09.2021 को सम्पन्न 196वीं बैठक में एजेण्डा आईटम संख्या-196.14 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में का0ज्ञा0सं0-3797-मा0सं0-01/विउनिलि/2011(टीसी-11) दिनांक 30.10.2021 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में इनको जिस स्थान पर रखा गया है वह पूर्णतया गलत है क्योंकि उनकी सहायक अभियन्ता प्रशिक्षु (वै0एवंयॉ0) पद पर नियुक्ति 19 मई 2008 को हुई थी तथा प्रशिक्षण के उपरान्त अन्तिम संविलीनीकरण परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर स्थानापन्न एवं अस्थाई सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति दिनांक 01.06.2009 को हुई थी, जबकि ज्येष्ठता सूची में प्रत्यावेदनकर्ताओं से ऊपर उन कार्मिकों को रखा गया है जिनकी प्रशिक्षणोपरान्त अन्तिम संविलीनीकरण परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत स्थानापन्न एवं अस्थाई सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति 01.08.2009 या इसके बाद हुई है जैसे कि क्रमांक 17, 25, 35, 43, 44, 45, 56, 70, 75, 77, 83, 90, 98, 100, 104, 108, 121, 131 आदि।

उपरोक्त से संज्ञानित कराते हुए प्रत्यावेदनकर्ताओं ने निगम मुख्यालय के का0ज्ञा0सं0: 3051-मा0सं0-01/विउनिलि/2021 दिनांक 25.07.2012 का संदर्भ देते हुए उसके प्रस्तर संख्या-5 की ओर ध्यानाकर्षित कराया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली के संगत प्राविधानों के अनुसार "सेवा संवर्ग में नियुक्ति का पद सहायक अभियन्ता होता है न कि सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु)"। निगम में सहायक अभियन्ता (ई0एण्डएम0) की ज्येष्ठता उ0प्र0रा0 विद्युत अभियन्ता सेवा विनियमावली-1970 तथा सपठित उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1998 से विनियमित होती है। उक्त विनियमावली के अन्तर्गत ज्येष्ठता अवधारणा का मूल सिद्धान्त सेवा के संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता की देयता का है।"

उक्त स्पष्टीकरण के आलोक में प्रत्यावेदनकर्ताओं ने का0ज्ञा0सं0-3797-मा0सं0-01/विउनिलि/2011 (टीसी-2)

कमश:.....6

23/11/2021

दिनांक 30.10.2021 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को गलत नियमों के तहत तैयार किये जाने व उसको निदेशक मण्डल से प्राप्त अनुमोदन के अनुपालन में निर्गत का0ज्ञा0सं0-3590-मा0सं0-01/विउनिलि/2021 दिनांक 12.10.2021 के अनुसार नहीं होने का अभिकथन किया है। उक्त के अतिरिक्त इनके द्वारा यह भी आपत्ति की गई है कि वर्ष 2008 में सहायक अभियन्ता प्रशिक्षु (वि0 एवं यॉ0) के साथ सहायक अभियन्ता जानपद संवर्ग में भी नियुक्तियों की गई थी तथा जानपद तथा वि0 एवं यॉ0 संवर्ग में 05 मई/19 मई 2008 को एकसाथ सहायक अभियन्ता प्रशिक्षु के पद पर निगम में कार्यभार ग्रहण किया था। उसके उपरान्त जानपद संवर्ग को चयन वर्ष 2008-2009 दिया गया जबकि विद्युत यॉत्रिक संवर्ग को Retrospective effect के द्वारा चयन वर्ष 2007-2008 एवं सहायक अभियन्ता का पद दिया गया है।

अतः घोषित की गई अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करते हुए इन प्रत्यावेदनकर्ताओं ने उनकी ज्येष्ठता का निर्धारण निगम मुख्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत का0ज्ञा0सं0-3050-मा0सं0-01/विउनिलि/2012 दिनांक 25.07.2012, का0ज्ञा0सं0-3051-मा0सं0-01/विउनिलि/2012 दिनांक 25.07.2012 तथा का0ज्ञा0सं0-3729-मा0सं0-01/विउनिलि/2013 दिनांक 11.10.2019 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार करने का अनुरोध किया है।

**(ख) क्रमांक 4, 5, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तथा 97 ने** का0ज्ञा0सं0: 3797-मा0सं0-01/विउनिलि/2021 दिनांक: 30.10.2021 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करते हुए उपरोक्त प्रस्तर-(I)(क) पर उल्लिखित आपत्तियों के अतिरिक्त यह भी अभिकथन किया है कि उनकी नियुक्ति कार्यालय के आदेश सं0: 651-मा0सा0-01/वि0उ0नि0लि0/2008 दिनांक: 19.03.2008 के तहत निगम की सेवा में दिनांक 05/19 मई 2008 के द्वारा हुई है जिसमें कुल 133 सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्त किए गए तथा माह नवम्बर/दिसम्बर 2008 में अन्य 9 सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (वि0 एवं यॉ0) को निगम में नियुक्त किया गया। उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम के कार्यालय आदेश सं0: 1927-मा0सा0-01/वि0उ0नि0लि0/2009 दिनांक 30 जून 2009 के आधार पर 111 सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (वि0 एवं यॉ0, संवर्ग) को दिनांक 01 जून 2009 से सहायक अभियन्ता (वि0 एवं यॉ0, संवर्ग) का पद एवं चयन वर्ष (2008-2009) दिया गया तथा 111 सहायक अभियन्ताओं के अलावा अन्य 22+9 सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) को सहायक अभियन्ता का पद एवं चयन वर्ष क्रमशः (2009-10) 22 सहायक अभियन्ताओं को एवं चयन वर्ष (2010-11) 9 सहायक अभियन्ताओं को दिया गया।

उक्त के क्रम में इन प्रत्यावेदनकर्ताओं ने उत्पादन निगम लि0 के आदेश सं0: 2939 मा0सा0-01/वि0उ0नि0लि0/2016 दिनांक 13.10.2016 का संदर्भ दिया है जिसमें 111 सहायक अभियन्ताओं की अनन्तिम वरिष्ठता सूची का परिचालन किये जाने तथा उसके बिन्दु (4) में वर्ष 2008 के सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) पर नियुक्त ऐसे सहायक अभियन्ता जिन्हें प्रशिक्षण काल बढ़ाये जाने/संविलियन परीक्षा बाद में उत्तीर्ण करने आदि के कारण चयन वर्ष 2009-10 अथवा आगे के चयन वर्षों में सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्त किया गया है के नाम संगत चयन वर्षों में नियुक्त सहायक अभियन्ताओं तथा उक्त चयन वर्ष में अवर अभियन्ता पद से पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं के साथ सज्जीकृत करने के पश्चात पारस्परिक ज्येष्ठता सूची अलग से यथासमय निर्गत की जायेगी, का उल्लेख किया गया है, परन्तु आदेश सं0: 3797/मा0सा0-01/2011 दिनांक: 30.10.2021 द्वारा घोषित ज्येष्ठता सूची में, निगम के पूर्व में आए आदेशों एवं निगम की ज्येष्ठता नियमावली 1970, ज्येष्ठता नियमावली 1998 के अनुसार चयन वर्ष निर्धारण की विधि का उल्लेख नहीं है, जबकि चयन वर्ष का निर्धारण सहायक अभियन्ता की मौलिक नियुक्ति जो कि उसके सहायक अभियन्ता पद के ग्रहण करने की तिथि से होती है, के अनुसार ज्येष्ठता निर्धारण किया जाना चाहिये था।

अग्रतर प्रत्यावेदनकर्ताओं ने यह अभिकथन किया है कि निगम की प्रत्येक नियमावली क्रमशः अभियन्ता सेवा विनियमावली 1970, सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1998 तथा सीनियारिटी रेगुलेशन 2010 के अनुसार ज्येष्ठता अवधारण का मूल सिद्धांत सेवा के संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता की देयता का है तथा निगम द्वारा मौलिक नियुक्ति को समय-समय पर विभिन्न आदेशों द्वारा परिभाषित किया जा चुका है जिसमें सहायक अभियन्ता की मौलिक नियुक्ति उसके सहायक अभियन्ता पद को ग्रहण करने की तिथि से आरम्भ होती है, उक्त के दृष्टिगत इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि अमुक व्यक्ति कब सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) नियुक्त हुआ, कब प्रशिक्षण उपरांत संविलियन परीक्षा उत्तीर्ण की, सहायक अभियन्ता पद पर

क्रमशः.....7

25/11/2021

उसकी ज्येष्ठता का निर्धारण उसकी मौलिक नियुक्ति की तिथि के क्रम में उसकी मेरिट अनुसार किया जाना होता है अतः घोषित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को सहायक अभियंताओं की मौलिक नियुक्ति को आधार मानते हुए चयन वर्ष 2008-2009 एवं 2009-2010 करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त प्रत्यावेदनकर्ताओं द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि निगम में सहायक अभियंता की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता सेवा विनियमावली 1970 तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1998 से विनियमित होती है जिसके अनुसार अभियंता सेवा नियमावली 1970 के Appendix-B-Procedure for direct recruitment point no. 09-13, Page no. 117-118 से यह स्पष्ट होता है सहायक अभियंता अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि वह किसी प्रकार के test or tests में अनुत्तीर्ण हो जाता है जिसका कोई भी संशोधन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1998 में नहीं किया गया है। अतः Appendix -B - Procedure for direct recruitment point no. 09-13, Page no. 117-118 अभी भी मान्य है जिसके फलस्वरूप तालिका 01 में दिए गए 22 सहायक अभियंताओं का प्रशिक्षण विस्तार उपरोक्त नियमावली से भी मान्य है अतः 22 सहायक अभियंता को वरिष्ठता सूची में शामिल किया जाना न्याय संगत नहीं है।

अग्रोत्तर प्रत्यावेदनकर्ताओं ने निगम के का0ज्ञा0सं0: 63-मा0सा0-01/वि0उ0नि0लि0/2020 दिनांक: 08.01.2020, जो 2009 बैच के सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियंताओं की वरिष्ठता सूची 2008 बैच को सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियंताओं के ठीक नीचे जारी करने से संबंधित है में स्पष्ट उल्लेख होने से सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1998 सपठित आदेश सं0: 08-UNL/reform/Regulations/2010/Seniority दिनांक 07.01.2010 के प्राविधानानुसार निगम में ज्येष्ठता का निर्धारण उसी चयन वर्ष में होता है जिस चयन वर्ष में कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर नियमित सहायक अभियंता नियुक्त होता है। सहायक अभियंता (प्रशिक्षु) पद पर नियुक्ति तिथि की कोई भूमिका नहीं होती है। अतः संगत प्राविधानानुसार वरिष्ठता का निर्धारण उसी चयन वर्ष में किया जाएगा जिस चयन वर्ष में उसके द्वारा सहायक अभियंता (नियमित) पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया है। उक्त के फलस्वरूप 22+9 सहायक अभियंताओं को ज्येष्ठता सूची में वरिष्ठता देना न्याय संगत नहीं है।

उपरोक्त से अवगत कराते हुए इन प्रत्यावेदनकर्ताओं ने का0ज्ञा0सं0: 3797/मां0सा0-01/विउनिलि/2021 दिनांक: 30.10.2021 द्वारा घोषित की गई अनन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची का निर्धारण निगम में विद्यमान नियमों, अभियंता सेवा विनियमावली 1970, सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1998, पूर्व में समय-समय पर वरिष्ठता निर्धारण प्रकरणों में आई आपत्तियों के निस्तारण के तथ्यों के अनुरूपता में करने का अनुरोध किया है।

(ग) कमांक 14, 16, 17, 18 तथा 19 ने का0ज्ञा0सं0: 3797-मा0सं0-01/ विउनिलि/2021 दिनांक: 30.10.2021 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करते हुए उपरोक्त प्रस्तर-(I)(क) व (ख) पर उल्लिखित आपत्तियों के अतिरिक्त यह आपत्ति दर्ज की है कि उनको दिये गये नियुक्ति पत्र के साथ संलग्न गहन प्रशिक्षण के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया था कि "आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्टों, प्रशिक्षण के दौरान बाह्य संस्थाओं की परीक्षाओं तथा समय-समय पर ली गयी आन्तरिक परीक्षाओं के अंकों को जोड़कर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक पाने वाले को प्रशिक्षण में सफल घोषित किया जायेगा तथा इन अंकों को सम्मिलित करते हुये अंतिम मेरिट सूची तैयार की जायेगी"। साथ ही उनको प्रशिक्षण ग्रहण करने हेतु एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया था जिसमें यह वर्णित था कि नियुक्त प्रशिक्षुओं की ज्येष्ठता का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा लिये गये 2008 में उनको दिये गये ट्रेनिंग मैनुअल के क्रम में उनकी ज्येष्ठता सूची सेवा आयोग द्वारा entrance test, interview or group discussion आदि में प्राप्तांकों का 60 प्रतिशत तथा निगम में नियुक्ति के बाद एक वर्ष के प्रशिक्षण में लिए गए परीक्षाओं में प्राप्तांकों का 40 प्रतिशत जोड़ते हुये प्रत्येक विधाओं की अलग-अलग वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी तथा उनको Normalization के साथ संकलित करते हुये तैयार किया जाएगा। उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रत्यावेदनकर्ताओं ने प्रशिक्षण अवधि में पूर्ण मनोयोग एवं रूचि से प्रशिक्षण ग्रहण किया ताकि उसकी ज्येष्ठता का निर्धारण ठीक प्रकार से हो सके। उपरोक्त के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार किये जाने हेतु निगम द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता

कमशः.....8

25/11/2021

नियमावली-1998 को संशोधित करने वाला आदेश संख्या-08-UNL/Reform/Regulation/2010/Seniority दिनांक 07.10.2010 निर्गत किया गया था तथा वह इसी के अनुसार ज्येष्ठता चाहते हैं।

अतः घोषित की गई अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करते हुए इन प्रत्यावेदनकर्ताओं ने उनकी ज्येष्ठता का निर्धारण निगम मुख्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत का0ज्ञा0सं0-3050-मा0सं0-01/विउनिलि/2012 दिनांक 25.07.2012, का0ज्ञा0सं0-3051-मा0सं0-01/विउनिलि/2012 दिनांक 25.07.2012 तथा का0ज्ञा0सं0-3729-मा0सं0-01/विउनिलि/2013 दिनांक 11.10.2019 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार करने का अनुरोध किया है।

(घ) क्रमांक: 7, 9, 10, 11, 12, 13 तथा 15 ने का0ज्ञा0सं0: 3797-मा0सं0-01/ विउनिलि/2021 दिनांक: 30.10.2021 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करते हुए उपरोक्त प्रस्तर-(I)(क), (ख) व (ग) पर उल्लिखित आपत्तियों के अतिरिक्त यह आपत्ति दर्ज की है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में शामिल 22 सहायक अभियन्ताओं द्वारा प्रशिक्षण अवधि अनुचित ढंग से बढ़ाये जाने एवं चयन वर्ष बदलने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका सं0 10632/2021 एवं 10282/2020 दर्ज की गई थी, जिसको कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है क्योंकि न्यायालय के समक्ष लाया गया कारण पूरी तरह से अनुचित पाया गया, अतैव इन 22 सहायक अभियन्ताओं को चयन वर्ष 2008-2009 में सम्मिलित करना न्याय संगत नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त प्रत्यावेदनकर्ताओं द्वारा घोषित की गई अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम सं0: 3, 10, 11, 12, 17, 20, 25, 35, 43, 44, 45, 50, 56, 68, 70, 74, 75, 77, 79, 83, 90, 98, 100, 104, 108, 121, 131, 137 एवं 141 पर अंकित सहायक अभियन्ताओं को सम्मिलित करना न्याय संगत नहीं होने से सूचित किया है। अग्रेतर सहायक अभियन्ता (प्र0) (वै0एवंयां0) के पद पर चयन हेतु निगम द्वारा यांत्रिक अभियांत्रिकी, विद्युत अभियांत्रिकी एवं इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्युनिकेशन अभियांत्रिकी में स्नातक अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा आयोजित होने से अवगत कराते हुए, जिसमें अर्जित अंकों के आधार पर चयन किया गया, परन्तु कुल पूछे गये प्रश्नों में से सम्बन्धित अभियांत्रिकी के तकनीकी प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण दो अलग विषयों के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पास्परिक ज्येष्ठता निर्धारित करना अनुचित होने व निर्धारित ज्येष्ठता मात्र प्राप्तकों के आधार पर निर्णीत करने के कारण विद्युत अभियांत्रिकी से चयनित अभियन्ता लगभग यांत्रिक अभियांत्रिकी एवं इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्युनिकेशन अभियांत्रिकी से चयनित समस्त अभियन्ताओं से कनिष्ठ हो जाने का अभिकथन करते हुए इन प्रत्यावेदनकर्ताओं ने का0ज्ञा0सं0: 3797/मा0सा0-01/विउनिलि/2021 दिनांक: 30.10.2021 द्वारा घोषित की गई अनन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची का निर्धारण निगम में विद्यमान नियमों उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली 1970 तथा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1998 के प्राविधानानुसार करने का अनुरोध किया है।

(ङ) क्रमांक 28 ने का0ज्ञा0सं0: 3797-मा0सं0-01/विउनिलि/2021 दिनांक: 30.10.2021 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत करते हुए यह अभिकथन किया है कि उक्त अनन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची में उनका नाम अन्तिम में रखा गया है जबकि उनसे कम अंक प्राप्त करने वाले और उनसे बाद में निगम में ज्वाइन करने वाले लोगों को उनसे ज्येष्ठ माना गया है। चूंकि जिस दिन उनको ज्वाइन करने का आदेश था, उन्होंने उसी दिन निगम में ज्वाइन किया था व सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम में वह सफल थे जिसके दृष्टिगत उनके प्रशिक्षण हेतु विलम्ब के लिए प्रशिक्षण इकाई उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 जिम्मेवार है, क्योंकि ससमय एक वर्ष के अन्दर प्रशिक्षण कार्यक्रम को समाप्त करने का प्रतिबन्ध उनके द्वारा नहीं किया। अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने 2008 बैच सहायक अभियन्ता (वै0एवंयां0) की ज्येष्ठता सूची में उनका नाम नियमानुसार संगत स्थान पर अंकित करने का अनुरोध किया है।

(II) ऐसे कार्मिक जिनका नाम निर्गत की गई अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में शामिल है तथा इन्होंने अनन्तिम ज्येष्ठता सूची से सहमति दर्शाते हुए उसे यथावत् रखने का अभिकथन किया है:-

(क) क्रमांक: 29, 30, 31, 40, 41 तथा 42 ने निर्गत की गई अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को यथावत् रखने का अनुरोध किया है और यह अभिकथन किया है कि उनकी नियुक्ति तिथि दिनांक 19/03/2008 है जो आदेश सं0 651 मा0सं0-01/विउनिलि/2008

कमश:.....9

29/10/2024



दिनांक 19 मार्च 2008 के तहत हुई है, अतः अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनका चयन वर्ष 2007-08 नियमतः सही है। उक्त के अतिरिक्त उनके द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि विनियमावली 1998 के भाग-2 प्रस्तर-5 से यह स्पष्ट है कि सीधी भर्ती से नियुक्त अभियन्ताओं के चयन वर्ष के निर्धारण में नियमितीकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है। अग्रेतर प्रत्यावेदनकर्ताओं ने विनियमावली 1998 के भाग-1 के प्रस्तर 3 जिसमें उल्लिखित है कि "इसके पूर्व बनाई गयी किसी अन्य सेवा विनियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होगी।" का संदर्भ देते हुए निगम के का0ज्ञा0सं0: 3050-मा0सं0-01/वि0उ0नि0लि0/2012 दिनांक 25.07.2012 के पृष्ठ सं0-01 के अंतिम पैरा में मौलिक नियुक्ति के सम्बन्ध में उ0प्र0 अभियन्ता सेवा विनियमावली 1970 का अनुपालन किये जाने को गलत बताया है। अग्रेतर उन्होंने यह अभिकथन किया है कि यद्यपि अभियन्ता सेवा विनियमावली 1970 के अनुसार प्रशिक्षणोपरान्त ही नियमितीकरण किया जायेगा जबकि ज्येष्ठता विनियमावली 1998 में प्रशिक्षण को सम्मिलित ही नहीं किया गया है, अतः किसी भी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता निर्धारण में प्रशिक्षण की कोई भूमिका नहीं है और केवल और केवल नियमितीकरण से है।

उक्त के क्रम में प्रत्यावेदनकर्ताओं ने वर्ष 2001 के 05 सहायक अभियन्ताओं का प्रशिक्षण वर्ष 2001 बैच के साथ न होकर वर्ष 2003 बैच के साथ कराये जाने के उपरान्त भी इनकी ज्येष्ठता वर्ष 2001 बैच में देने व अवर अभियन्ताओं एवं वर्ष 2006 के अवर अभियन्ताओं की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली-1998 के नियम में वर्णित सही तरीके से मौलिक नियुक्ति एवं चयन वर्ष के आधार पर ही नियमानुसार बनी होने का अभिकथन किया है। उक्त के सम्बन्ध में इन्होंने निगम के पत्रांक: 4142-मा0सं0-03/उनिलि-2012 दिनांक 08.10.2012 का संदर्भ देते हुए अभिकथन किया है कि श्री दिनेश कुमार की उक्त निस्तारण टिप्पणी में अवर अभियन्ता (संवर्ग) की वरिष्ठता निर्धारण (सीधी भर्ती के लिये) नियुक्ति आदेश में आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गयी वरिष्ठता सूची के आधार पर एवं पदोन्नति पाने वाले अभियन्ता का ज्येष्ठता निर्धारण नियमितीकरण आदेश की तिथि से किये जाने का उल्लेख किया गया है। इसी क्रम में इन्होंने सीधी भर्ती 2006 के अवर अभियन्ता श्री सुभाष चन्द्र (नियमितीकरण तिथि 08.07.2007) तथा रमेश सिंह (नियमितीकरण तिथि 05.07.2007) की प्रशिक्षण अवधि विस्तारित होने के उपरान्त भी इनको आयोग द्वारा बनाई गयी योग्यता सूची के अनुसार ही क्रम सं0 26 एवं 39 पर क्रमशः वरिष्ठता प्रदान किये जाने का अभिकथन किया है व निस्तारण टिप्पणी, क्रम सं0 02, श्री श्रवण कुमार एवं श्री राजेश कुमार की मौलिक नियुक्ति आदेश सं0 3436-मा0सं0-03/उनिलि/ 2007 दिनांक 15.11.2007 द्वारा वर्ष 2007 में होने पर भी इनकी वरिष्ठता का निर्धारण सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई श्रेष्ठता सूची में क्रम सं0 34 एवं 62 पर होने से सूचित किया है।

उपरोक्त अभिकथनों के अतिरिक्त श्री पंकज शर्मा ने यह भी अभिकथन किया है कि उनका चयन सीधी भर्ती द्वारा वर्ष 2008 में वर्ष 2006 की vacancy के सापेक्ष हुआ था तथा उनको नियुक्ति पत्र सं0 651-मा0सं0-01/वि0उ0नि0लि0/2008 दिनांक 19.03.2008 के माध्यम से दिनांक 05.05.2008 तक योगदान आख्या प्रस्तुत करने के लिये बुलाया गया था, चूंकि तत्समय वह उच्चशिक्षा (M.Tech) अर्जित करने हेतु IIT Roorkee में अध्ययनरत थे जिसके सेमिनार एवं प्रोजेक्ट पूर्ण करने में लगभग पांच माह लगने की सम्भावना थी। अतएव उन्होंने सेमिनार एवं प्रोजेक्ट पूर्ण करने तक ज्वाइनिंग हेतु तिथि विस्तार की अनुमति मांगी ताकि IIT Roorkee से M.Tech का कोर्स पूर्ण कर लें। उक्त के दृष्टिगत निगम मुख्यालय ने आदेश संख्या 1346-मा0सं0-01/वि0उ0नि0लि0/2008 दिनांक 03.06.2008 द्वारा बिना किसी शर्त के दिनांक 06.10.2008 तक उनका ज्वाइनिंग समय विस्तारित किया। पुनः विभाग ने कार्यालय ज्ञाप सं0 2844-मा0सं0-01/वि0उ0नि0लि0/2005 दिनांक 24.09.2008 द्वारा दिनांक 17.11.2008 तक बिना किसी शर्त के उनकी ज्वाइनिंग तिथि विस्तारित की जिसके अनुपालन में उन्होंने उक्त तिथि में कार्यभार ग्रहण कर लिया एवं विभाग के आदेशानुसार लगातार ड्यूटी पर रहे जबकि विभाग को ड्यूटी न लेकर दिनांक 17.11.2008 से ही क्लासरूम प्रशिक्षण कराना चाहिए था जिससे उनका प्रशिक्षण वर्ष 2008 के साथ ही हो जाता परन्तु विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

उक्त के क्रम में इन्होंने अभिकथन किया है कि पुनः अगले बैच की भर्ती होने तक उनका क्लासरूम प्रशिक्षण कराया गया जो कि बिना किसी बाधा के इन्होंने सफलतापूर्वक पास किया। चूंकि उनकी क्लासरूम प्रशिक्षण की अवधि अन्य बैच के साथ थी, इसी आधार पर ही उनका नियमितीकरण वर्ष 2008 बैच के साथ नहीं किया गया जिसके विरुद्ध उनके द्वारा पूर्व में भी प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये थे, परन्तु उस पर निर्णय प्रतीक्षित ही था कि इसी दौरान उनिलि के कार्यालय ज्ञाप सं0

25/11/2012

2939-मा0सं0-01/विउनिलि/2016 दिनांक 13.10.2016 द्वारा वर्ष 2008 बैच की सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की अनन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची (Tentative Seniority List) घोषित की गई जिसमें उनका नाम सम्मिलित नहीं पाया गया, इस संदर्भ में उन्होंने प्रत्यावेदन दिनांक: 18.10.2016 एवं 28.10.2016 प्रेषित किया था।

उक्त के क्रम में इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रशिक्षण एवं Final Absorption Test वर्ष 2009 बैच में नियुक्त सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षुओं) के साथ विभाग द्वारा विलम्ब से कराया गया है जबकि विभाग को उनका प्रशिक्षण वर्ष 2009 बैच में नियुक्त सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षुओं) के साथ न कराकर दिनांक 17.11.2008 से ही क्लासरूम प्रशिक्षण कराना चाहिये था जिससे उनका प्रशिक्षण एवं Final Absorption Test वर्ष 2008 बैच के साथ ही हो जाता परन्तु विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिसके कारण उनको दिनांक 01.10.2010 से ही नियमित घोषित किया गया जो कि विभाग के किसी भी नियम में वर्णित नहीं है अतः यह नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है व प्रशिक्षण बाद तक कराये जाने के कारण ज्येष्ठता खोने की कोई सूचना उनको नियुक्ति पत्र में नहीं दी थी साथ ही प्रशिक्षण कराना विभाग (Management) की व्यवस्था है एवं यदि विभाग द्वारा प्रशिक्षण कराया जाना सम्भव नहीं था तो इसका दण्ड उनको मिलना किसी भी दशा में न्यायसंगत नहीं है।

अग्रेतर इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली-1998 के सम्पूर्ण नियम उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 के नियमों से ही अक्षरतः लिये गये हैं जिसके अनुसार ज्येष्ठता का निर्धारण नियमानुसार की गई नियुक्ति अर्थात् मौलिक नियुक्ति की तिथि से किया जायेगा तथा उसमें यह भी प्राविधानित है कि ज्येष्ठता का निर्धारण नियुक्ति की तिथि से किया जायेगा, उसकी स्थायीकरण या पदग्रहण करने की तिथि से नहीं किया जायेगा और न ही स्थानापन्न अवधि को आगणित किया जायेगा।

**(ख) क्रमांक: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 99, 100, 101, 102, 103 तथा 104** ने निर्गत की गई अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को यथावत रखने का अनुरोध किया है और यह अभिकथन किया है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन सं0 तथा 4/VSA/2006 तथा उत्पादन निगम लि0 के पत्र सं0 651/म0सं0-01/वि0उ0लि0लि0/2008 दिनांक 19 मार्च, 2008 के अनुपालन में इन प्रत्यावेदनकर्ताओं ने दिनांक 05.05.2008 को 2008 बैच के अन्य सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के साथ निगम की नियमित सेवा प्रारम्भ की थी, जिसके आलोक में इन प्रत्यावेदनकर्ताओं ने अग्रेतर यह अभिकथन किया है कि प्रशिक्षण के सारे भाग माह अप्रैल-2009 के पूर्व ही पूर्ण करने के कारण पत्र सं0 216/उनिलि/प्रशि0/सहा0अभि0-(प्रशिक्षु-वै0/यात्रिक तथा ज0)/2008-09 दिनांक 02.04.2009 के द्वारा उनको अन्तिम समविलिनिकरण परीक्षा (फाइनल एब्जाबर्शन टेस्ट) जो कि दिनांक: 28.04.2009 को आयोजित हुई थी, में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई, जिसमें वह प्रथम प्रयास में ही उत्तीर्ण हो गये थे। उक्त के क्रम में इन प्रत्यावेदनकर्ताओं ने निगम के पत्रांक सं0 657/HRD&TD/ATP/AE(T)-2008/programme दिनांक 15.05.2009 की प्रति संलग्न की है।

उक्त के अतिरिक्त इन प्रत्यावेदनकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली-1998 के भाग-1 प्रस्तर-3 पर अध्यारोही प्रभाव आदि का उल्लेख करते हुए अभिकथन किया है कि ज्येष्ठता विनियमावली-1998 के आगमन के पश्चात् 1970 की नियमावली के समस्त नियम जो कि 1998 के प्रतिकूल हैं स्वतः ही निष्प्रभावी हो गये। अग्रेतर इन्होंने ज्येष्ठता विनियमावली-1998 के भाग-1 प्रस्तर-4 बिन्दु सं0 "ज" का उल्लेख करते हुए अपना चयन उ0प्र0 राज्य विद्युत सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर चयन के पश्चात् होने व प्रथम दिवस से ही उनकी उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में नियुक्ति मौलिक नियुक्ति होने से अवगत कराते हुए निर्गत की गई अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को यथावत रखने का अनुरोध किया है।

**(ग) क्रमांक: 98, 125 तथा 134** ने निर्गत की गई अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को यथावत रखने का अनुरोध किया है और यह अभिकथन किया है कि विनियमावली 1998 के अध्यारोही प्रभाव से पुरानी विनियमावली 1970 निष्प्रभावी हो जाती है। जैसा कि विनियमावली 1998 के भाग-1 (प्रारम्भिक) के बिन्दु-3 अध्यारोही प्रभाव पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि "यह विनियमावली इससे पूर्व बनायी गयी किसी अन्य सेवा विनियमावली में किसी बात से प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होगी।" उक्त के क्रम में इन

क्रमशः.....11

29/11/2024

प्रत्यावेदनकर्ताओं ने ज्येष्ठता निर्धारण हेतु सदैव विनियमावली 1998 का ही अनुपालन करने व ज्येष्ठता से सम्बन्धित सभी अनियमितताओं को शीघ्रातिशीघ्र दूर करके सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति आदेश निर्गत किये जाने, साथ ही बी.ओ.डी. से पारित दिनांक 01/03/2008 से दिनांक 06/10/2010 के मध्य नियुक्त सभी अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची भी निर्गत किये जाने और बी.ओ.डी. से पारित तिथि के पश्चात् भी नियुक्त हुए सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता विनियमावली 1998 से निर्गत किये जाने का अनुरोध किया है।

**(III) ऐसे कार्मिक जिनका नाम निर्गत की गई अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में शामिल नहीं है तथा इन्होंने अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध आपत्ति दर्ज की है तथा उसे संशोधित करने का अभिकथन किया है :-**

**(क) क्रमांक: 43 से 54 तक, एवं 62 तथा 105 से 115 तक** उल्लिखित प्रत्यावेदनकर्ताओं ने निर्गत की गई अन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करते हुए मुख्यतः यह अभिकथन किया है कि विषयगत ज्येष्ठता सूची में कतिपय त्रुटियों के कारण उनको ज्येष्ठता का अत्याधिक ह्रास हो रहा है क्योंकि उसमें सीधी भर्ती स्रोत से चयन हुए कुल 142 सहायक अभियन्ताओं (प्रशिक्षुओं) में 141 सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) का चयन वर्ष 2007-08 व 01 सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) का चयन वर्ष 2008-09 माना गया है जो "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् सेवक ज्येष्ठता विनियमावली-1998" में निहित प्राविधान के बिल्कुल विरोधाभाष को दर्शित करता है। उक्त के कम में इन्होंने सूचित किया है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उल्लेखित 111 सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) द्वारा 01 वर्ष के प्रशिक्षण को पूर्ण करने के उपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-1927-मा0सं0-01/विउनिलि/2009, दिनांक 30.06.2009 द्वारा दिनांक 01.06.2009 से नियमित (मौलिक पद पर नियुक्ति) किया गया था, उक्त के अतिरिक्त ससमय प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने के कारण शेष 15 सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) द्वारा 01 वर्ष के प्रशिक्षण को पूर्ण करने के उपरान्त कार्यालय ज्ञाप सं0: 2945-मा0सं0-01/विउनिलि/2009 दिनांक 16.12.2009 द्वारा दिनांक 01.08.2009 से नियमित (मौलिक पद पर नियुक्ति) किए गए थे। अग्रेतर ज्वानिग तिथि में विस्तार एवं ससमय प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने के कारण शेष 10 सहायक अभियन्ता को कार्यालय ज्ञाप संख्या-1156-मा0सं0-01/विउनिलि/2009 दिनांक 26.04.2011 द्वारा दिनांक 01.10.2010 से नियमित (मौलिक पद पर नियुक्ति) किए गए हैं।

उक्त के कम में प्रत्यावेदनकर्ताओं ने यह अभिकथन किया है कि निगम में सहायक अभियन्ता (वि0 एवं यॉ0) की ज्येष्ठता उ0प्र0 राज्य विद्युत अभियन्ता सेवा विनियमावली-1970 तथा सपटित उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् सेवक ज्येष्ठता विनियमावली 1998 से विनियमित होती है। उक्त विनियमावली के अन्तर्गत ज्येष्ठता अवधारणा का मूल सिद्धान्त सेवा के संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता की देयता का है। अतएव का0ज्ञा0सं0 3797/मा0सं0/वि0उ0नि0लि0/2021 दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 द्वारा जारी अनन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची में सीधी भर्ती स्रोत से आये कुल 147 (141+6) सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) में 111 सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) द्वारा 01 वर्ष के प्रशिक्षण को पूर्ण करने के उपरान्त निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1927-मा0सं0-01/विउनिलि/2009, दिनांक 30.06.2009 के अनुसार 111 सहायक अभियन्ता के पद पर दिनांक 01.06.2009 से नियमित (मौलिक पद पर नियुक्ति) होने एवं कार्यभार ग्रहण करने के कारण उनका चयन वर्ष 2007-08 के स्थान पर चयन वर्ष 2008-09 एवं 20 सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) द्वारा 01 वर्ष के प्रशिक्षण को पूर्ण करने के उपरान्त निर्गत क्रमशः कार्यालय ज्ञाप संख्या-2945-मा0सं0-01/विउनिलि/2009 दिनांक: 16.12.2009 द्वारा दिनांक 01.08.2009 को सहायक अभियन्ता के पद पर तथा शेष 10 सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) द्वारा 01 वर्ष के प्रशिक्षण को पूर्ण करने के उपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4102-मा0सं0-01/विउनिलि/2009-21-मा0सं0-01/2007 दिनांक 29.12.2009 द्वारा दिनांक 29.12.2009 से नियमित (मौलिक पद पर नियुक्ति) हुए हैं, उनका चयन वर्ष 2008-2009 के स्थान पर चयन वर्ष 2009-2010 एवं 1156-मा0सं0-01/विउनिलि/2009 दिनांक 26.04.2011 द्वारा दिनांक 01.02.2011 से नियमित (मौलिक पद पर नियुक्ति) किए उनका चयन वर्ष 2008-2009 के स्थान पर चयन वर्ष 2010-11 होना चाहिए।

अग्रेतर इन प्रत्यावेदनकर्ताओं द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष 2008 में सहायक अभियन्ता प्रशिक्षु (वि0 एवं यॉ0) के साथ सहायक अभियन्ता प्रशिक्षु (जानपद) की भी नियुक्ति हुयी थी एवं दोनों संवर्ग के सहायक अभियन्ता निगम में एक साथ

क्रमशः.....12

29/11/2024

सहायक अभियन्ता प्रशिक्षु पद पर कार्यभार ग्रहण किये थें। उसके उपरान्त जानपद संवर्ग के सहायक अभियन्ताओं का वरिष्ठता निर्धारण चयन वर्ष 2008-09 में किया गया है जब कि उसी के साथ नियुक्ति विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग का वरिष्ठता निर्धारण चयन वर्ष 2007-08 में किया जा रहा है। अतः यह ज्येष्ठता निर्धारण नीति में गम्भीर विसंगति दर्शाता है। उक्त के कम में चयन वर्ष 2008-09 में अवर अभियन्ता पद से प्रोन्नत इन सहायक अभियन्ताओं ने दिनांक 06.08.2009 को प्रोन्नति उपरान्त सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने से सूचित करते हुए अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में चयन वर्ष 2008-09 के उपरान्त प्रशिक्षण प्राप्त करके नियमित (मौलिक पद पर नियुक्ति) हुए 30 सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची "उ०प्र० विद्युत परिषद् सेवक ज्येष्ठता विनियमावली-1998" के अनुक्रम में एक अनुपात एक में मर्जर होकर बनायी जाने का अभिकथन किया है।

अग्रेतर इन्होंने अनन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची में जिन सीधी भर्ती स्रोत से आये सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता चयन वर्ष 2007-08 में निर्धारित किया गया है, उनके संदर्भ में सूचित किया है कि नियमतः वह क्रमशः चयन वर्ष 2008-09, 2009-10 व 2010-11 में नियमित हुए हैं। उक्त के अतिरिक्त यह सूचित किया गया है कि का०ज्ञा०सं०-2939-मा०सं०-01/वि०निलि/2016 दिनांक 13.10.2016 द्वारा वर्ष 2008 के सीधी भर्ती से सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति सहायक अभियन्ता (वै० एवं यॉ०) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी थी, जिसके बिन्दु-4 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि वर्ष "2008 में सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद पर नियुक्त ऐसे सहायक अभियन्ता जिन्हें प्रशिक्षण काल बढ़ाने जाने/संविलियन परीक्षा बाद को उत्तीर्ण करने आदि के कारण चयन वर्ष 2009-10 अथवा आगे के चयन वर्षों में सहायक अभियन्ता (नियमित) पद पर नियुक्त किया गया है, के नाम संगत चयन वर्षों में नियुक्त सहायक अभियन्ताओं तथा उक्त चयन वर्ष में अवर अभियन्ता पद से पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं के साथ सज्जीकृत करने के पश्चात् पारस्परिक ज्येष्ठता सूची अलग से यथासमय निर्गत की जायेगी"। उपरोक्त तथ्य के आलोक में प्रत्यावेदनकर्ताओं ने वर्ष 2009 में अवर अभियन्ता से प्रोन्नत हुए सहायक अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची प्रोन्नत सहायक अभियन्ता एवं सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियन्ता के साथ चकानुक्रम में कोटा के अनुसार जारी की जाना नियमसंगत होने का अभिकथन किया है और साथ ही सूची में कई ऐसे अभियन्ता जिन्होंने निगम में चयन वर्ष 2007-08 में निगम में ज्वाइन ही नहीं किये थे, उन्हें भी उक्त चयन वर्ष के साथ वरिष्ठता निर्धारित कर प्रोन्नति प्रदान किये जाने पर आपत्ति व्यक्त की है तथा उसे निगम में लागू उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् सेवक ज्येष्ठता विनियमावली-1998 के संगत प्राविधानानुसार संगत चयन वर्ष में नियमित कार्मिकों का प्रोन्नत कार्मिकों के साथ पारस्परिक ज्येष्ठता कोटा के अनुसार चकानुसार में बनाए जाने को अतिक्रमि कर प्रोन्नत अभियन्ताओं के साथ भेदभाव किये जाने का अभिकथन किया है।

उक्त के कम में इन प्रत्यावेदनकर्ताओं ने का०ज्ञा०सं०: 2228-मा०सं०-01/वि०निलि/2012 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार पूर्व में वरिष्ठता निर्धारण में रही त्रुटियों के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के कम में गठित उच्चस्तरीय विभागीय समिति द्वारा किये गये निस्तारण में सीधी भर्ती स्रोत से आये हुये सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्णोपरान्त नियमित रूप से नियुक्ति आदेश (मौलिक नियुक्ति तिथि) दिनांक के चयन वर्ष के कम में ही ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने से सूचित किया है व इस सम्बन्ध में निगमीय का०ज्ञा०सं०: 3051-मा०सं०-01/वि०उ०नि०लि०/2012 दिनांक 25.07.2012, का०ज्ञा०सं०: 63-मा०सं०-01/वि०निलि/2020 दिनांक 08.01.2010 तथा का०ज्ञा०सं०: 3729-मा०सं०-01/वि०निलि/2013 दिनांक 11.10.2019 के माध्यम से दिये गये स्पष्टीकरणों का संदर्भ देते हुए इसके अनुसार ज्येष्ठता निर्धारित करने क अनुरोध किया है। इसी के कम में राज्य विद्युत परिषद् जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उ०प्र० ने भी निर्गत की गई अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को उपरोक्तानुसार संशोधित करने का अनुरोध किया है।

**(ख) कमांक: 55, 56, 57, 58, 59, 60 तथा 61** पर उल्लिखित प्रत्यावेदनकर्ता परिणामी ज्येष्ठता वाले हैं तथा सहायक अभियन्ता पद से पदावनत होने के उपरान्त सम्प्रति अवर अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करते हुए मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में परिणामी ज्येष्ठता हेतु लम्बित याचिकाओं के निस्तारण तक वरिष्ठता तथा अधिशासी अभियन्ता के पदों पर प्रोन्नति प्रक्रिया को स्थगित रखने का अनुरोध किया है।

29/11/2014

(IV) ऐसे कार्मिक जिनका नाम निर्गत की गई अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में शामिल नहीं है तथा इन्होंने अनन्तिम ज्येष्ठता सूची से सहमति दर्शाते हुए उसे यथावत रखने का अभिकथन किया है :-

क्रमांक: 63 से 96 तक, 116 से 124 तक, 126 से 133 तक तथा 135 से 145 तक उल्लिखित प्रत्यावेदनकर्ताओं ने निर्गत की गई अनन्तिम ज्येष्ठता सूची से सहमति दर्शाते हुए उसे यथावत रखने का अनुरोध किया है तथा यह अभिकथन किया है कि निर्गत वरिष्ठता सूची विनियमावली 1998 के संगत नियमों एवं विनियमों के तहत उचित है किन्तु निकाली गयी ज्येष्ठता सूची BOD के द्वारा पारित होने के पश्चात भी दिनांक-01.03.2008 से दिनांक 06.01.2010 के मध्य संगत वर्षों में नियुक्त सभी अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची निर्गत नहीं की गई। अतः इस पर इन प्रत्यावेदनकर्ताओं ने आपित्त दर्ज करते हुए सूचित किया है कि उनकी नियुक्ति भी BOD के द्वारा निर्देशित तिथि की सीमा के अंदर ही चयन वर्ष 2009-10 में हुई है, अतः इन्होंने यह अनुरोध किया है कि BOD में जिस तिथि तक ज्येष्ठता सूची निर्गत करने का आदेश पारित है वहाँ तक की ज्येष्ठता सूची निर्गत की जाये तथा उनको भी ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करते हुए ज्येष्ठता निर्गत की जाये। साथ ही ज्येष्ठता का निर्धारण करते समय यह संज्ञान में लिया जाये कि विज्ञापन संख्या-4/VSA/2006 का बैकलॉग है, तथा विनियमावली 1998 के प्रस्तर-8 के प्रतिबन्ध-2 में वर्णित है कि जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटा से कम हों, और ऐसी न भरी गई रिक्तियों के प्रति नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाये, वहाँ इस प्रकार नियुक्त सहायक अभियन्ताओं के नाम उस चयन वर्ष में शीर्ष पर रखे जायेंगे। चूंकि वह सीधी भर्ती से सहायक अभियन्ता पद पर चयन वर्ष 2009-10 में (विज्ञापन संख्या-U-02/UPRVUSA/2008 के सापेक्ष) में नियुक्त है, अतः उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता विनियमावली 1991 के भाग-3 (ज्येष्ठता सूची) प्रस्तर-2 ज्येष्ठता निर्धारण के बिन्दु-16 के अनुसार उनकी वरिष्ठता उसी वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्ताओं के ऊपर रखी जाये। उक्त के कम में इन्होंने पाकालि में प्रोन्नति के आदेशों में भी इस नियम का पालन किये जाने से सूचित करते हुए पाकालि के आदेश संख्या-4274-अ0प्र0-07/पाकालि/17-25-अ0प्र0-07/09 दिनांक 28.09.2017 की प्रति संलग्न की है।

अग्रेतर इन प्रत्यावेदनकर्ताओं ने वर्ष 2009-10 में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति दोनों के द्वारा नियुक्तियाँ किये जाने व 40 प्रतिशत कोटे के तहत सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति करने हेतु BOD संख्या-135 के एजेण्डा संख्या-51 पर प्रोन्नति करने हेतु अर्हकारी सेवा में तीन वर्ष एवं 8.33 प्रतिशत कोटे के तहत सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति करने हेतु अर्हकारी सेवा में एक वर्ष की शिथिलता प्रदान किये जाने से सूचित करते हुए BOD में अर्हकारी सेवा में शिथिलता दिए जाने पर इसका लाभ पुनः नहीं दिये जाने का अभिकथन किया है व विनियमावली-1998 के भाग-दो प्रस्तर-5 में दिये गये स्पष्टीकरण "एक ही वर्ष में नियमित और आपात भर्ती के लिए पृथक-पृथक चयन किये जाये तो नियमित भर्ती के लिए किया गया चयन पूर्ववर्ती माना जाये" का उल्लेख किया है तथा सीधी भर्ती से सहायक अभियन्ता पद पर नियमित भर्ती से नियुक्त होने का अभिकथन करते हुए इनकी वरिष्ठता उसी वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्ताओं के ऊपर चयन वर्ष 2009-10 में शीर्ष पर रखे जाने का अनुरोध किया है। उक्त के अतिरिक्त इन्होंने उ0प्र0 सरकारी सेवक विनियमावली 1991 के प्रस्तर-8 "क" को जोड़ने के पश्चात विभागों में परिणामी ज्येष्ठता प्रभावी हो जाने तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशोपरान्त मुख्यालय कार्यालय ज्ञाप संख्या-1051-मा0सं0प्र0-02/उनिलि-2012-50-मा0सं0प्र0-02/2007 दिनांक 17.05.2012 द्वारा विभाग में प्रदत्त परिणामी ज्येष्ठता का लाभ निष्प्रभावी कर दिये जाने से सूचित करते हुए 2009 में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्ताओं को अर्हकारी सेवा में दी गई तीन वर्षों की शिथिलता के फलस्वरूप मिलने वाली परिणामी ज्येष्ठता को उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के आलोक में निरस्त होने का अभिकथन किया है। साथ ही उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता विनियमावली 1991 के भाग-तीन के बिन्दु संख्या-02 ज्येष्ठता निर्धारण के सिद्धान्त 12 "पूर्वगामी तिथि से नियुक्ति करके "काल्पनिक ज्येष्ठता" का उल्लेख किया है।

उपरोक्तानुसार विनियमावली-1998 के बिन्दु संख्या-03 (अध्यारोही प्रभाव) से अवगत कराते हुए इन प्रत्यावेदनकर्ताओं ने वर्ष 2009 में सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता उसी वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्ताओं के ऊपर रखे जाने का अनुरोध किया है।

इसी क्रम में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन अधिकारी एसोसियेशन व उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ ने निर्गत की गई अनन्तिम ज्येष्ठता सूची से सहमति दर्शाते हुए इसी तरह से ज्येष्ठता निर्गत करने का अनुरोध किया है।

(V) मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में योजित याचिका सं0: 27198/2021 में पारित आदेश दिनांक 23.11.2021

सर्वश्री संजय कुमार गुप्ता, आलोक कुमार सिंह, राजेन्द्र कुमार, एल0पी0 शुक्ला, मो0 रियाजुद्दीन, अरुण कुमार सिंह तथा अब्दुल सलीम ने निर्गत की गई अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में याचिका सं0: 27198/2021 योजित की है, जो कि मुख्यतः निर्गत की गई अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में चयन वर्ष 2008-09 में नियमित हुए सहायक अभियन्ताओं को ही सम्मिलित करने के सम्बन्ध में है, जिसमें मा0 न्यायालय ने निम्नवत् आदेश पारित किये हैं :-

.....Looking into the facts and circumstances of the case, it is provided that the respondent-Corporation may proceed to decide the objections of the petitioners with regard to the impugned tentative seniority list in accordance with law by a reasoned and speaking order as expeditiously as possible and till the final seniority list is published by the respondent-Corporation, it shall not proceed to make any further promotions on the basis of the impugned tentative seniority list.

It goes without saying that after publication of the final seniority list, it shall be open for the respondent-Corporation to proceed for promotion also in accordance with law.

With the aforesaid, present writ petition stands disposed of.

2- उपरोक्त प्राप्त 146 प्रत्यावेदनों का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है :-

बिन्दु (I)(क), (ग) व (घ) पर प्राप्त आपत्तियों में प्रत्यावेदनकर्ताओं द्वारा मॉग की गई है कि उनकी वरिष्ठता का निर्धारण का0ज्ञा0सं0: 08-UNL/Reform/Regulation/2010/Seniority दिनांक 07.10.2010 द्वारा किया जाये। संदर्भित कार्यालय ज्ञाप के भूतलक्षीय प्रभाव को मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच के आदेश दिनांक: 30.11.2016 द्वारा stay कर दिया गया है, जिसके आलोक में निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक: 28.09.2021 को निर्णय लिया गया है कि दिनांक: 01.03.2008 से 06.01.2010 के मध्य नियुक्त सहायक अभियन्ता (वै0 एवं यॉ0) की वरिष्ठता का निर्धारण का0ज्ञा0सं0: 08-UNL/Reform/Regulation/2010/Seniority दिनांक 07.10.2010 के स्थान पर पूर्व में लागू उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1998 द्वारा किया जायेगा। अतः इनके द्वारा की गई मॉग कि इनकी ज्येष्ठता का निर्धारण का0ज्ञा0सं0: 08-UNL/Reform/Regulation/2010/Seniority दिनांक 07.10.2010 के अनुसार आयोग द्वारा entrance test, interview व group discussion आदि में प्राप्तांकों का 60 प्रतिशत तथा निगम में नियुक्ति के बाद एक वर्ष के प्रशिक्षण में लिए गए परीक्षाओं में प्राप्तांकों का 40 प्रतिशत जोड़ते हुये Normalization के आधार पर किया जाये, स्वीकार योग्य नहीं है।

निगम में अभियन्ताओं की सेवाएँ उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली-1970 से विनियमित होती है जिसमें निम्नवत् प्राविधानित है :-

(क) उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली-1970 के प्रस्तर-3(3) में निम्नवत् प्राविधानित है :-

"Approved Service" means service rendered under the Board on the basis of a regular selection held by the Board so far."

उक्त विनियमावली के प्रस्तर-3(30) में निम्नवत् प्राविधानित है :-

"Trained Engineer" means a Trainee Engineer who after a course of successful training under the Board is declared fit for appointment as an Assistant Engineer under the Board"

उक्त के अतिरिक्त उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली-1970 के भाग-III Sources of Recruitment में निम्नवत् प्राविधानित है :-

"5(1) Initial recruitment to the service shall be made to the posts of Assistant Engineer in the following manner :-

a) By appointment from amongst 'Trained Engineer's 65  $\frac{1}{3}$ %

b) By promotion from amongst members of Junior Engineers Service in the Selection Grade in the manner prescribed in Appendix 'C' 33  $\frac{1}{3}$ %

c) By promotion from amongst the confirmed and qualified Computers (Selection Grade) (E/M) in the manner prescribed in Appendix 'C' 1  $\frac{1}{3}$ %

(ख) उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1998 में निम्नवत् परिभाषाएँ दी गई हैं :-

3 "अध्यारोही प्रभाव" यह विनियमावली इससे पूर्व बनायी गई किसी अन्य सेवा विनियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होगी।

4(छ) "सेवा विनियमावली" का तात्पर्य इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 79(सी) के अधीन बनायी गई विनियमावली से है और जहाँ ऐसी विनियमावली न हो वहाँ सुसंगत सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये परिषद द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों से है।

4(ज) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सेवा से सम्बन्धित सेवा नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो।

(ग) उक्त बिन्दु (क) व (ख) से विदित है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली-1998 के बिन्दु-3 पर उसके अध्यारोही प्रभाव के उपरान्त भी उसके बिन्दु-4(छ) व 4(ज) पर दी गई परिभाषाओं में "मौलिक नियुक्ति" की परिभाषा सेवा नियमावली यथा उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली-1970 से विनियमित होती है जिसके प्राविधानानुसार अभियन्ता सेवा संवर्ग का आरम्भिक पद "Trained Engineer's" परिभाषित है।

(घ) उपरोक्त से स्पष्ट है कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली-1970 के प्राविधानानुसार अभियन्ता सेवा संवर्ग का आरम्भिक पद "सहायक अभियन्ता" है जिसके स्वीकृत पदों पर "प्रशिक्षित अभियन्ताओं" में से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किये जाने का प्राविधान है। उक्त विनियमावली में दी गई परिभाषाओं के अनुसार "प्रशिक्षित अभियन्ता" का तात्पर्य ऐसे प्रशिक्षु अभियन्ता से है, जो परिषद/निगम में निर्धारित प्रशिक्षण कोर्स को सफलता के साथ पूर्ण करने के बाद सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाया जाये। विनियमावली में यह भी प्राविधान है कि सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों को उतने समय के लिए प्रशिक्षण दिलाया जायेगा, जितना समय निगम द्वारा निर्धारित किया जाय तथा निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं अन्तिम संविलयन परीक्षा उत्तीर्ण होने पर उसे सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्त किया जायेगा।

(ङ) अतः उक्त विनियमावली के अन्तर्गत ज्येष्ठता अवधारण का मूल सिद्धान्त सेवा के संवर्ग में मौलिक नियुक्ति अर्थात् "नियमित सहायक अभियन्ता" पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से ज्येष्ठता की देयता का है।" इस प्रकार उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली 1970 तथा उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली-1998 के अनुसार ज्येष्ठता का निर्धारण उसी चयन वर्ष में होता है जिस चयन वर्ष में कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर "नियमित सहायक अभियन्ता" नियुक्त होता है।

उक्त प्राविधानान्तर्गत अन्तिम संविलियन परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा सहायक अभियन्ता (नियमित) पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही निगम द्वारा चयन वर्ष 2003-04, 2004-05 व 2005-06 के सहायक अभियन्ता (वै० एवं यॉ०), चयन वर्ष 2008-09 के सहायक अभियन्ता (जानपद) तथा अवर अभियन्ता (वै० एवं यॉ०)/(जानपद) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की जाती रही है तथा इसी आधार पर का०ज्ञा०सं०: 3798-मा०सं०-01/विउनिलि/2021 दिनांक: 30.10.2021 द्वारा सम्प्रति चयन वर्ष 2011-12 हेतु सहायक अभियन्ता (जानपद) पद की अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की गई है, उसमें भी कार्मिकों का ज्येष्ठता निर्धारण उनके नियमितिकरण के चयन वर्ष में किया गया है।

आपत्तिकर्ताओं ने निगम मुख्यालय द्वारा ज्येष्ठता निर्धारण हेतु पूर्व में किये गये आदेश जिनका संदर्भ दिया है, उनके द्वारा चयन वर्ष 2004-05 के सहायक अभियन्ता (वै० एवं यॉ०) का ज्येष्ठता निर्धारण प्रकरण विचारित किया गया था, तथा प्रकरण में तत्समय चयन वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के सहायक अभियन्ताओं की अनन्तिम वरिष्ठता सूची निर्गत करते हुए उसके विरुद्ध आपत्तियाँ आमंत्रित की गई थीं। प्राप्त आपत्तियों में 2004-05 के सहायक अभियन्ताओं ने तत्समय मुख्यतः यह अभिकथन किया था कि चूंकि उन्होंने दिनांक: 16.06.2004 को अन्तिम संविलियन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी परन्तु उनके नियमितिकरण आदेश दिनांक: 06.07.2004 का होने के कारण उनकी वरिष्ठता का निर्धारण चयन वर्ष 2004-05 में हो रहा था, अतः उन्होंने अन्तिम संविलियन परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से उन्हें नियमित मानते हुए चयन वर्ष 2003-04 में उनकी वरिष्ठता का निर्धारण किये जाने का अनुरोध किया था।

प्राप्त आपत्तियों स्वीकार योग्य न पाते हुए का०ज्ञा०सं०: 3050-मा०सं०-01/विउनिलि/ 2012 दिनांक: 25.07.2012 तथा का०ज्ञा०सं०: 3051-मा०सं०-01/विउनिलि/2012 दिनांक: 25.07.2012 द्वारा उनके प्रत्यावेदनों का निस्तारण करते हुए का०ज्ञा०सं०: 3103-मा०सं०-01/विउनिलि/2012 दिनांक: 25.07.2012 द्वारा अन्तिम वरिष्ठता सूची निर्गत कर दी गई थी तथा प्रत्यावेदनकर्ताओं का उनके नियमितिकरण तिथि के ही चयन वर्ष अर्थात् 2004-05 में ही ज्येष्ठता निर्धारण किया गया न कि उनके अनुरोधानुसार चयन वर्ष 2003-04 में।

विद्यमान नियमों के आलोक में सीधी भर्ती के माध्यम से आये सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षुओं) को सहायक अभियन्ता (नियमित) पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही सम्बन्धित चयन वर्षों में उनकी ज्येष्ठता सूची जारी की गयी है। चयन वर्ष 2004-05 के सहायक अभियन्ता (वै० एवं यॉ०), जो कि सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता के पदों पर कार्यरत हैं, में से कुछ ने वरिष्ठता का निर्धारण नियमितिकरण के चयन वर्ष 2004-05 के स्थान पर उससे पूर्व के चयन वर्ष 2003-04 में किये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका सं०: 20912/2019 आलोक त्रिपाठी व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य नियोजित की है, जो कि सम्प्रति न्यायाधीन है व उसमें विभाग की ओर से इसी आधार पर शपथ-पत्र दाखिल किया गया है कि निगम में ज्येष्ठता का निर्धारण उसी चयन वर्ष में होता है जिस चयन वर्ष में कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर "नियमित सहायक अभियन्ता" नियुक्त होता है।

सीधी भर्ती के माध्यम से वर्ष 2009 में आये सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) में से भी कुछ कार्मिकों ने मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका सं०: 8508/2020 मनीष कुमार मिश्रा व अन्य बनाम उत्पादन निगम लि० व अन्य योजित की है जिसमें उनकी मुख्यतः यह माँग है कि उनकी वरिष्ठता का निर्धारण 2008 बैच के सहायक अभियन्ताओं के ठीक नीचे तथा चयन वर्ष 2009-10 में अवर अभियन्ता से प्रोन्नत हुए सहायक अभियन्ताओं से ऊपर किया जाये। उक्त वाद भी सम्प्रति न्यायाधीन है तथा उसमें भी विभाग की ओर से इसी आधार पर शपथ-पत्र दाखिल किया गया है कि निगम में ज्येष्ठता का निर्धारण उसी चयन वर्ष में होता है जिस चयन वर्ष में कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर "नियमित सहायक अभियन्ता" नियुक्त होता है।

उपरोक्त के आलोक में बिन्दु सं०: (I)(क), (ख), (ग), (घ) एवं (III)(क) पर संदर्भित आपत्तिकर्ताओं से प्राप्त आपत्तियों, विद्यमान नियमों के प्राविधानान्तर्गत निगम द्वारा पूर्व में सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता तथा सम्प्रति सहायक अभियन्ता (जानपद) पद हेतु निर्गत की गई ज्येष्ठता सूचियों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण की विवेचना/परीक्षण किये जाने पर तर्कसंगत एवं स्वीकार योग्य पायी जाती हैं।



बिन्दु (I)(ड) पर उल्लिखित श्री रवि शशिकांत कुरील का नियमितकरण दिनांक: 01.02.2011 को हुआ था, उपरोक्त विद्यमान नियमों के आलोक में इनका नाम चयन वर्ष 2008-09 हेतु अन्तिम रूप से निर्गत की जाने वाली ज्येष्ठता सूची में शामिल नहीं होगा। अतः श्री कुरील द्वारा प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

बिन्दु (II) (क) एवं (ख) पर उल्लिखित प्रत्यावेदनकर्ताओं में से कुछ प्रत्यावेदनकर्ताओं की प्रशिक्षण अवधि कतिपय विषयों में अनुत्तीर्ण होने के कारण बढ़ायी गई थी तथा उनको बाद के चयन वर्ष 2009-10 में सहायक अभियन्ता पद पर नियमित किया गया था (दिनांक: 01.07.2009 से 30.06.2010 के मध्य) तथा कुछ को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण तिथि बढ़ाये जाने के कारण प्रशिक्षण बाद में होने से, चयन वर्ष 2010-11 में (दिनांक: 01.07.2010 से 30.06.2011 के मध्य) सहायक अभियन्ता पद पर नियमित किया गया था (इनमें श्री अमित जायसवाल आई0ई0एस0 2008 की पर्सनालिटी टेस्ट में 28.04.2009 को सम्मिलित होने के कारण वह उक्त तिथि को आयोजित हुई अन्तिम संविलीन परीक्षा में अनुपस्थित थे व इन्होंने 2009 बैच के नवनियुक्त सहायक अभियन्ता प्रशिक्षुओं के बैच के साथ अन्तिम संविलियन परीक्षा दी थी)।

इन प्रत्यावेदनकर्ताओं एवं बिन्दु (II) (ग) में उल्लिखित प्रत्यावेदनकर्ताओं का अभिकथन है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली-1998 के भाग-1 प्रारम्भिक के बिन्दु-3 के अध्यारोही प्रभाव होने के कारण यह इससे पूर्व बनाई गई किसी अन्य सेवा विनियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होगी, के सम्बन्ध में इन अभियन्ताओं द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1998 की अन्य परिभाषाओं को अपनी सुविधानुसार छोड़ते हुए मात्र बिन्दु-3 के अध्यारोही प्रभाव होने का अभिकथन किया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली-1998 के बिन्दु-3 पर उसके अध्यारोही प्रभाव के उपरान्त भी उसके बिन्दु-4(छ) व 4(ज) पर दी गई परिभाषाओं में "मौलिक नियुक्ति" की परिभाषा सेवा नियमावली यथा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली-1970 से विनियमित होती है जिसके प्राविधानानुसार अभियन्ता सेवा संवर्ग का आरम्भिक पद "Trained Engineer's" परिभाषित है।

इनके अभिकथन कि उन्होंने दिनांक 05.05.2008 को 2008 बैच के अन्य सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के साथ निगम की नियमित सेवा प्रारम्भ की थी तथा प्रशिक्षण के सारे भाग माह अप्रैल-2009 के पूर्व ही पूर्ण करने व अन्तिम संविलिनीकरण परीक्षा (फाइनल एग्जाबर्शन टेस्ट) दिनांक: 28.04.2009 को उत्तीर्ण कर लेने का अभिकथन किया गया है, के सम्बन्ध में इनके द्वारा दिनांक 05.05.2008 को 2008 बैच के अन्य सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के साथ निगम की नियमित सेवा प्रारम्भ किये जाने का भ्रामक अभिकथन किया जा रहा है, क्योंकि उक्त तिथि को इन्होंने "सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु)" पद पर कार्यभार ग्रहण किया था, न कि "नियमित सहायक अभियन्ता" के पद पर। उक्त के अतिरिक्त इनके द्वारा प्रशिक्षण के सारे भाग माह अप्रैल-2009 के पूर्व ही पूर्ण करने व अन्तिम संविलिनीकरण परीक्षा (फाइनल एग्जाबर्शन टेस्ट) दिनांक: 28.04.2009 को उत्तीर्ण कर लेने हेतु किये गये अभिकथन के संदर्भ में अवगत कराना है कि इनके द्वारा किया गया यह अभिकथन भी अपूर्ण व भ्रामक है क्योंकि Training Module के कतिपय विषय में अनुत्तीर्ण होने के कारण इन कार्मिकों की प्रशिक्षण विस्तारित की गई थी तथा जिसके दृष्टिगत इनका नियमितकरण भी बाद के चयन वर्ष में हुआ है न कि इनके बैच के अन्य सहायक अभियन्ता के साथ, जो कि समय से प्रशिक्षण पूर्ण कर चयन वर्ष 2008-09 में नियमित हो गये थे।

प्रत्यावेदनकर्ताओं ने वर्ष 2001 के कतिपय सहायक अभियन्ताओं का प्रशिक्षण वर्ष 2001 बैच के साथ न होकर वर्ष 2003 बैच के साथ कराये जाने के उपरान्त भी इनकी ज्येष्ठता वर्ष 2001 में निर्धारित किये जाने का अभिकथन किया है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संदर्भित सहायक अभियन्ताओं की भर्ती पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद द्वारा निर्गत विज्ञापन के सापेक्ष की गई थी।

प्रत्यावेदनकर्ताओं द्वारा वर्ष 2006 के अवर अभियन्ताओं की ज्येष्ठता के संदर्भ में निगम के पत्रांक: 4142-मा0सं0-03/उनिनि-2012 दिनांक 08.10.2012 द्वारा श्री दिनेश कुमार के निस्तारण टिप्पणी में दिये गये स्पष्टीकरण कि अवर अभियन्ता (संवर्ग) की वरिष्ठता का निर्धारण (सीधी भर्ती के लिये) नियुक्ति आदेश में आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गयी वरिष्ठता सूची के आधार पर एवं पदोन्नति पाने वाले अभियन्ता का ज्येष्ठता निर्धारण नियमितीकरण आदेश की तिथि से किये जाने हेतु किये गये अभिकथन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निगम मुख्यालय के पत्रांक: 4142-मा0सं0-01/विउनिनि/2012

दिनांक: 08.10.2012 में श्री दिनेश कुमार तथा श्री श्रवण कुमार की निस्तारण आख्या निम्नवत् प्रेषित की गई है :-

**"अवर अभियन्ता (संवर्ग) में वरिष्ठता का निर्धारण, अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) में की गई नियुक्ति तिथि (नियमितिकरण आदेश की तिथि) के क्रम में तथा एक ही नियुक्ति आदेश से नियुक्त अवर अभियन्ताओं की पारस्परिक वरिष्ठता, सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी श्रेष्ठता सूची (Merit List) के आधार पर निर्धारित की गई है।"**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा किये गये उपरोक्त निस्तारण की अपनी सुविधानुसार भ्रामक व्याख्या की जा रही है, अतः इनका उपरोक्त अभिकथन भी स्वीकार योग्य नहीं है।

प्रत्यावेदनकर्ताओं द्वारा सीधी भर्ती 2006 के अवर अभियन्ता श्री सुभाष चन्द्र (नियमितिकरण तिथि 08.07.2007) तथा रमेश सिंह (नियमितिकरण तिथि 05.07.2007) की प्रशिक्षण अवधि विस्तारित होने के उपरान्त भी इनको आयोग द्वारा बनाई गयी योग्यता सूची के अनुसार ही क्रम सं0 26 एवं 39 पर क्रमशः वरिष्ठता प्रदान किये जाने तथा निस्तारण टिप्पणी, क्रम सं0 02, पर श्री श्रवण कुमार एवं श्री राजेश कुमार की मौलिक नियुक्ति आदेश सं0 3436-मा0सं0-03/उनिलि/2007 दिनांक 15.11.2007 द्वारा वर्ष 2007 में होने पर भी इनकी वरिष्ठता का निर्धारण सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई श्रेष्ठता सूची में क्रम सं0 34 एवं 62 पर होने का अभिकथन किया है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री सुभाष चन्द्र एवं श्री रमेश सिंह की नियमितिकरण तिथि 15.11.2007 है न कि प्रत्यावेदनकर्ताओं द्वारा अभिकथित की गई तिथि क्रमशः 08.07.2007 तथा 05.07.2007, अतः इन सभी अवर अभियन्ताओं का नियमितिकरण दिनांक: 15.11.2007 होने के परिप्रेक्ष्य में इनका ज्येष्ठता निर्धारण एक ही चयन वर्ष के अन्तर्गत सेवा आयोग की मेरिट सूची के अनुसार किया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत प्रत्यावेदनकर्ताओं का यह अभिकथन भी स्वीकार योग्य नहीं है।

उक्त प्रत्यावेदनकर्ताओं में से श्री पंकज शर्मा ने पूर्व में कार्यालय ज्ञाप सं0 2939-मा0सं0-01/विउनिलि/2016 दिनांक 13.10.2016 द्वारा वर्ष 2008 बैच की सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की अनन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध तत्समय उनके द्वारा दिनांक: 18.10.2016 एवं 28.10.2016 को प्रेषित किये गये प्रत्यावेदन का निस्तारण न किये जाने का अभिकथन किया है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में याचिका सं0-27604/2016 अवधेश कुमार सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा याचिका सं0-28494/2016 राजीव कुमार श्रीवास्तव व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गई थी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक: 30.11.2016 को आदेश पारित करते हुए का0ज्ञा0सं0: 08-UNL/Reform/Regulation/2010/Seniority दिनांक 07.10.2010 के भूतलक्षीय प्रभाव पर stay लगा दिया गया था, अतः प्रकरण Sub-Judice होने के कारण तत्समय प्राप्त किसी भी आपत्ति/प्रत्यावेदनों का निस्तारण नहीं किया गया था।

निगम में विद्यमान विनियमावली के अन्तर्गत ज्येष्ठता अवधारण का मूल सिद्धान्त सेवा के संवर्ग में मौलिक नियुक्ति अर्थात् "नियमित सहायक अभियन्ता" पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से ज्येष्ठता की देयता का है।" इस प्रकार उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली 1970 तथा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली-1998 के अनुसार ज्येष्ठता का निर्धारण उसी चयन वर्ष में होता है जिस चयन वर्ष में कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर "नियमित सहायक अभियन्ता" नियुक्त होता है।

अतः विद्यमान प्राविधानान्तर्गत नियमितिकरण की तिथि को मौलिक नियुक्ति मानते हुए सहायक अभियन्ताओं का ज्येष्ठता निर्धारण किये जाने पर बिन्दु (II)(क) एवं (ख) पर उल्लिखित सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता का निर्धारण उनके नियमितिकरण की तिथि के अनुसार संगत चयन वर्षों में किया जायेगा एवं इनका नाम चयन वर्ष 2008-09 हेतु अन्तिम रूप से निर्गत की जाने वाली ज्येष्ठता सूची में शामिल नहीं होगा। अतः इन प्रत्यावेदनकर्ताओं द्वारा अन्तिम ज्येष्ठता सूची में इन्हें यथावत् स्थान पर रखने हेतु किया गया अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं है।

बिन्दु (II)(ग) पर उल्लिखित प्रत्यावेदनकर्ताओं ने यह भी अभिकथन किया है कि दिनांक: 01.03.2008 से 06.10.2010 के मध्य तथा इसके पश्चात् नियुक्त हुए सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता इसी प्रकार निर्धारित की जाये। सम्प्रति चयन वर्ष 2008-09 के सहायक अभियन्ता (वै0 एवं यॉ0) का ही ज्येष्ठता निर्धारण विचारित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में अभिकथन प्रासंगिक न होने के कारण, स्वीकार योग्य नहीं है।

29/11/2024

बिन्दु (III)(ख) पर उल्लिखित प्रत्यावेदनकर्ता, सहायक अभियन्ता पद हेतु घोषित की गई अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर आपत्ति कर रहे हैं तथा अधिशासी अभियन्ता पद पर प्रोन्नति की प्रक्रिया को स्थगित करने का अनुरोध कर रहे हैं, जबकि यह सभी सम्प्रति अवर अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं। उक्त के दृष्टिगत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची इनसे सम्बन्धित न होने के कारण इनकी आपत्तियों स्वीकार योग्य नहीं है।

बिन्दु (IV) पर उल्लिखित प्रत्यावेदनकर्ता, प्रस्तुत चयन वर्ष 2008-09 हेतु विचारित की जा रही ज्येष्ठता सूची के बाद के वर्षों में यथा 2009, 2011, आदि में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्त हुए कार्मिक हैं, जिनका नाम निर्गत की गई अनन्तिम ज्येष्ठता सूची से सम्बन्धित नहीं है। चूंकि सम्प्रति मात्र चयन वर्ष 2008-09 के सहायक अभियन्ताओं के ज्येष्ठता निर्धारण पर विचार किया जा रहा है, अतः इन अभियन्ताओं का वरिष्ठता निर्धारण प्रकरण सम्बन्धित चयन वर्षों की वरिष्ठता निर्धारित करते समय विचारित किया जायेगा।

बिन्दु (V) पर उल्लिखित याचिका में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कम में अवगत कराना है कि याचिकाकर्ताओं में से याची सं० 2, 5, 6 तथा 7 यथा आलोक कुमार सिंह, मो० रियाजुद्दीन, अरुण कुमार सिंह तथा अब्दुल सलीम के प्रत्यावेदन क्रमांक 106 के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। यह समस्त याचिकाकर्ता चयन वर्ष 2009-10 में अवर अभियन्ता पद से प्रोन्नत हुए सहायक अभियन्ता हैं तथा इनका नाम निर्गत की गई अनन्तिम ज्येष्ठता सूची से सम्बन्धित नहीं है। इनसे प्राप्त प्रकरण/आपत्ति को उपलिखित (I)(क),(ख),(ग),(घ) एवं (III)(क) पर विचारित किया जा चुका है तथा इनकी निस्तारण आख्या भी उसी के अनुसार है। अतः मा० न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त आदेश के अनुपालन में जिन याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं उनके प्रत्यावेदन का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।

3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता का निर्धारण उनके नियमितकरण की तिथि के चयन वर्ष में किया जाना नियमानुकूल है। अतः का०ज्ञा०सं०: 3797-मा०सं०-01/विउनिलि/2021 दिनांक: 30.10.2011 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का अन्तिमीकरण करने पर निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (वि० एवं यॉ०) जिनका नियमितकरण चयन वर्ष 2008-09 में नहीं हुआ था, निम्न कारणों से चयन वर्ष 2008-09 हेतु घोषित की जाने वाली अन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित होने के लिये अर्ह नहीं होंगे :-

(i) का०ज्ञा०सं० 3797/मा०सं०-01/विउनिलि/2021 दिनांक 30.10.2021 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 03 पर उल्लिखित श्री शिरीश चन्द्र पाण्डेय (रोल नं०: 21121394), मैकेनिकल, त्यागपत्रित सहायक अभियन्ता की नियमितकरण तिथि 01.02.2011 होने के कारण वह चयन वर्ष 2008-09 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के लिये अर्ह नहीं होंगे, अपितु चयन वर्ष 2010-11 में इनका ज्येष्ठता निर्धारण किया जायेगा।

(ii) का०ज्ञा०सं० 3797/मा०सं०-01/विउनिलि/2021 दिनांक 30.10.2021 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 10 पर उल्लिखित श्री अरुण कुमार सिंह (2009276), मैकेनिकल, सहायक अभियन्ता की प्रशिक्षण अवधि, जो कि Training Module के कतिपय विषय में अनुत्तीर्ण होने के दृष्टिगत विस्तारित की गई थी, इनकी नियमितकरण तिथि 01.08.2009 होने के कारण वह चयन वर्ष 2008-09 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के लिये अर्ह नहीं होंगे, अपितु चयन वर्ष 2009-10 में इनका ज्येष्ठता निर्धारण किया जायेगा।

(iii) का०ज्ञा०सं० 3797/मा०सं०-01/विउनिलि/2021 दिनांक 30.10.2021 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 11 पर उल्लिखित श्री श्रीकृष्ण त्रिपाठी (रोल नं०: 21121588), मैकेनिकल, त्यागपत्रित सहायक अभियन्ता की नियमितकरण तिथि 01.08.2009 होने के कारण वह चयन वर्ष 2008-09 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के लिये अर्ह नहीं होंगे, अपितु चयन वर्ष 2009-10 में इनका ज्येष्ठता निर्धारण किया जायेगा।

(iv) का०ज्ञा०सं० 3797/मा०सं०-01/विउनिलि/2021 दिनांक 30.10.2021 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 12 पर उल्लिखित श्री अमित प्रकाश झा (रोल नं०: 24124908), मैकेनिकल, त्यागपत्रित सहायक अभियन्ता की नियमितकरण तिथि 29.12.2009 होने के कारण वह चयन वर्ष 2008-09 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के लिये अर्ह नहीं होंगे, अपितु चयन वर्ष 2009-10 में इनका ज्येष्ठता निर्धारण किया जायेगा।

कमश:.....20

2/11/2021

(v) का0ज्ञा0सं0 3797/मा0सं0-01/विउनिलि/2021 दिनांक 30.10.2021 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 17 पर उल्लिखित श्री विजय प्रताप यादव (2009263), मैकेनिकल, सहायक अभियन्ता की प्रशिक्षण अवधि, जो कि Training Module के कतिपय विषय में अनुत्तीर्ण होने के दृष्टिगत विस्तारित की गई थी, इनकी नियमितिकरण तिथि 01.08.2009 होने के कारण वह चयन वर्ष 2008-09 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के लिये अर्ह नहीं होंगे, अपितु चयन वर्ष 2009-10 में इनका ज्येष्ठता निर्धारण किया जायेगा।

(vi) का0ज्ञा0सं0 3797/मा0सं0-01/विउनिलि/2021 दिनांक 30.10.2021 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 20 पर उल्लिखित श्री मनीष पंडित (रोल नं: 21121294), मैकेनिकल, त्यागपत्रित सहायक अभियन्ता की नियमितिकरण तिथि 01.02.2011 होने के कारण वह चयन वर्ष 2008-09 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के लिये अर्ह नहीं होंगे, अपितु चयन वर्ष 2010-11 में इनका ज्येष्ठता निर्धारण किया जायेगा।

(vii) का0ज्ञा0सं0 3797/मा0सं0-01/विउनिलि/2021 दिनांक 30.10.2021 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 25 पर उल्लिखित श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (2011001), मैकेनिकल, सहायक अभियन्ता जिन्होंने नियुक्ति के उपरान्त कार्यभार ग्रहण तिथि बढ़वाने के पश्चात्, विलम्ब से कार्यभार ग्रहण किया था व इन्होंने अपने बैच के समय से कार्यभार ग्रहण किये अभियन्ताओं के बाद प्रशिक्षणोपरान्त अन्तिम संविलीन परीक्षा उत्तीर्ण की थी, की नियमितिकरण तिथि 01.02.2011 होने के कारण वह चयन वर्ष 2008-09 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के लिये अर्ह नहीं होंगे, अपितु चयन वर्ष 2010-11 में इनका ज्येष्ठता निर्धारण किया जायेगा।

(viii) का0ज्ञा0सं0 3797/मा0सं0-01/विउनिलि/2021 दिनांक 30.10.2021 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 31 पर उल्लिखित श्री जयप्रकाश (रोल नं: 24125072), मैकेनिकल, त्यागपत्रित सहायक अभियन्ता जिनका नियमितिकरण से पूर्व ही त्यागपत्र स्वीकृत किया जा चुका था, का नियमितिकरण न होने के कारण वह चयन वर्ष 2008-09 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के लिये अर्ह नहीं होंगे, अपितु उनकी ज्येष्ठता का निर्धारण नहीं किया जायेगा।

(ix) का0ज्ञा0सं0 3797/मा0सं0-01/विउनिलि/2021 दिनांक 30.10.2021 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 35 पर उल्लिखित श्री पंकज शर्मा (2011006), मैकेनिकल, सहायक अभियन्ता जिन्होंने नियुक्ति के उपरान्त कार्यभार ग्रहण तिथि बढ़वाने के पश्चात्, विलम्ब से कार्यभार ग्रहण किया था व इन्होंने अपने बैच के समय से कार्यभार ग्रहण किये अभियन्ताओं के बाद प्रशिक्षणोपरान्त अन्तिम संविलीन परीक्षा उत्तीर्ण की थी, की नियमितिकरण तिथि 01.02.2011 होने के कारण वह चयन वर्ष 2008-09 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के लिये अर्ह नहीं होंगे, अपितु चयन वर्ष 2010-11 में इनका ज्येष्ठता निर्धारण किया जायेगा।

(x) का0ज्ञा0सं0 3797/मा0सं0-01/विउनिलि/2021 दिनांक 30.10.2021 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 43 पर उल्लिखित श्री अमित जायसवाल (2011010), इलेक्ट्रॉनिक्स, सहायक अभियन्ता, जो कि आई0ई0एस0 2008 के पर्सनललिटी टेस्ट में 28.04.2009 को सम्मिलित होने के कारण निगम द्वारा उक्त तिथि को आयोजित की गई अन्तिम संविलीन परीक्षा में अनुपस्थित थे व इन्होंने 2009 बैच के नवनियुक्त सहायक अभियन्ता प्रशिक्षुओं के बैच के साथ अन्तिम संविलियन परीक्षा दी थी, की नियमितिकरण तिथि 01.02.2011 होने के कारण वह चयन वर्ष 2008-09 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के लिये अर्ह नहीं होंगे, अपितु चयन वर्ष 2010-11 में इनका ज्येष्ठता निर्धारण किया जायेगा।

(xi) का0ज्ञा0सं0 3797/मा0सं0-01/विउनिलि/2021 दिनांक 30.10.2021 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 44 पर उल्लिखित श्री अभय कुमार (2011009), इलेक्ट्रॉनिक्स, सहायक अभियन्ता जिन्होंने नियुक्ति के उपरान्त कार्यभार ग्रहण तिथि बढ़वाने के पश्चात्, विलम्ब से कार्यभार ग्रहण किया था व इन्होंने अपने बैच के समय से कार्यभार ग्रहण किये अभियन्ताओं के बाद प्रशिक्षणोपरान्त अन्तिम संविलीन परीक्षा उत्तीर्ण की थी, की नियमितिकरण तिथि 01.02.2011 होने के कारण वह चयन वर्ष 2008-09 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के लिये अर्ह नहीं होंगे, अपितु चयन वर्ष 2010-11 में इनका ज्येष्ठता निर्धारण किया जायेगा।

(xii) का0ज्ञा0सं0 3797/मा0सं0-01/विउनिलि/2021 दिनांक 30.10.2021 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 45 पर उल्लिखित श्री मो0 शाहिद (2011008), इलेक्ट्रॉनिक्स, सहायक अभियन्ता जिन्होंने नियुक्ति के उपरान्त कार्यभार ग्रहण तिथि बढ़वाने के पश्चात्, विलम्ब से कार्यभार ग्रहण किया था व इन्होंने अपने बैच के समय से कार्यभार ग्रहण किये अभियन्ताओं के बाद प्रशिक्षणोपरान्त अन्तिम संविलीन परीक्षा उत्तीर्ण की थी, की नियमितिकरण तिथि 01.02.2011 होने के कारण वह चयन वर्ष 2008-09 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के लिये अर्ह नहीं होंगे, अपितु चयन वर्ष 2010-11 में इनका ज्येष्ठता निर्धारण किया जायेगा।

क्रमशः.....21

29/11/2021





तिथि बढ़वाने के पश्चात्, विलम्ब से कार्यभार ग्रहण किया था व इन्होंने अपने बैच के समय से कार्यभार ग्रहण किये अभियन्ताओं के बाद प्रशिक्षणोपरान्त अन्तिम संविलीन परीक्षा उत्तीर्ण की थी, की नियमितिकरण तिथि 01.02.2011 होने के कारण वह चयन वर्ष 2008-09 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के लिये अर्ह नहीं होंगे, अपितु चयन वर्ष 2010-11 में इनका ज्येष्ठता निर्धारण किया जायेगा।  
(xxx) का0ज्ञा0सं0 3797/मा0सं0-01/विउनिलि/2021 दिनांक 30.10.2021 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 137 पर उल्लिखित श्री राम नारायण भारती (2009277), इलेक्ट्रिकल, सहायक अभियन्ता की प्रशिक्षण अवधि, जो कि Training Module के कतिपय विषय में अनुत्तीर्ण होने के दृष्टिगत विस्तारित की गई थी, इनकी नियमितिकरण तिथि 01.08.2009 होने के कारण वह चयन वर्ष 2008-09 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के लिये अर्ह नहीं होंगे, अपितु चयन वर्ष 2009-10 में इनका ज्येष्ठता निर्धारण किया जायेगा।

(xxxix) का0ज्ञा0सं0 3797/मा0सं0-01/विउनिलि/2021 दिनांक 30.10.2021 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 138 पर उल्लिखित श्री अमित कुमार सिंह (रोल नं: 22112940), इलेक्ट्रिकल, त्यागपत्रित सहायक अभियन्ता जिनका नियमितिकरण से पूर्व ही त्यागपत्र स्वीकृत किया जा चुका था, का नियमितिकरण न होने के कारण वह चयन वर्ष 2008-09 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के लिये अर्ह नहीं होंगे, अपितु उनकी ज्येष्ठता का निर्धारण नहीं किया जायेगा।

(xxxix) का0ज्ञा0सं0 3797/मा0सं0-01/विउनिलि/2021 दिनांक 30.10.2021 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 141 पर उल्लिखित श्री जय शंकर गौड़ (2009267), मैकेनिकल, सहायक अभियन्ता की प्रशिक्षण अवधि, जो कि Training Module के कतिपय विषय में अनुत्तीर्ण होने के दृष्टिगत विस्तारित की गई थी, इनकी नियमितिकरण तिथि 01.08.2009 होने के कारण वह चयन वर्ष 2008-09 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के लिये अर्ह नहीं होंगे, अपितु चयन वर्ष 2009-10 में इनका ज्येष्ठता निर्धारण किया जायेगा।

(xxxix) का0ज्ञा0सं0 3797/मा0सं0-01/विउनिलि/2021 दिनांक 30.10.2021 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में चयन वर्ष 2008-09 हेतु निर्धारित की गई ज्येष्ठता के क्रमांक 1 पर उल्लिखित श्री रवि शशिकांत कुरील (2011004), मैकेनिकल, सहायक अभियन्ता, जिन्होंने बाद के चयन वर्षों में प्रशिक्षणोपरान्त अन्तिम संविलीन परीक्षा उत्तीर्ण की थी, की नियमितिकरण तिथि 01.02.2011 होने के कारण वह चयन वर्ष 2008-09 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के लिये अर्ह नहीं होंगे, अपितु चयन वर्ष 2010-11 में इनका ज्येष्ठता निर्धारण किया जायेगा।

4- अतः का0ज्ञा0सं0 3797/मा0सं0-01/विउनिलि/2021 दिनांक 30.10.2021 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में से उपरोक्त प्रस्तर-3 पर उल्लिखित सहायक अभियन्ताओं का नाम विलोपित करते हुए चयन वर्ष 2008-09 में "नियमित सहायक अभियन्ता (वै0 एवं यॉ0)" के पद पर कार्यरत शेष 114 कार्मिकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली, 1970 तथा सपठित उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1998 के प्राविधानानुसार निम्नवत् घोषित की जाती है :-

**चयन वर्ष 2008-09 के सहायक अभियन्ता (वै0 एवं यॉ0) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची :-**

क्र0 सं0	नाम, अनुक्रमांक, ब्रांच तथा वर्ग	जन्मतिथि	नियमितिकरण की तिथि	अभिज्ञान सं0	अभ्युक्ति
1	श्री मो0 शाहनवाज़ आलम (रोल नं0-24125135), मैकेनिकल, सामान्य	30-Dec-76	01.06.2009	UNL/2009119	-
2	श्री जीतेन्द्र कुमार गुप्ता (रोल नं0-24125129), मैकेनिकल, सामान्य	10-Jul-77	01.06.2009	UNL/2009056	-
3	श्री शशि प्रकाश सिंह (रोल नं0-24135226), इलेक्ट्रिकल, सामान्य	25-Jun-80	01.06.2009	UNL/2009069	-

4	श्री विशाल गुप्ता (रोल नं०-24135220), इलेक्ट्रनिक्स, अ०पि०व०	7-Jul-81	01.06.2009	UNL/2009122	-
5	श्री सुजीत कुमार सिंह (रोल नं०-22113043), इलेक्ट्रिकल, सामान्य	27-Oct-76	01.06.2009	UNL/2009097	-
6	श्री पीयूष धर द्विवेदी (रोल नं०-21121310), मैकेनिकल, सामान्य	30-Jun-78	01.06.2009	UNL/2009111	-
7	श्री राम कृष्ण मिश्र (रोल नं०-22123500), मैकेनिकल, सामान्य	1-Jan-76	01.06.2009	UNL/2009087	-
8	श्री रजनी कान्त वर्मा (रोल नं०-22123196), मैकेनिकल, अ०पि०व०	1-Jul-81	01.06.2009	UNL/2009050	-
9	श्री चन्द्र भानु सिंह (रोल नं०-22123658), मैकेनिकल, अ०पि०व०	15-Dec-79	01.06.2009	UNL/2009092	-
10	श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी (रोल नं०-22133796), इलेक्ट्रनिक्स, सामान्य	25-Feb-81	01.06.2009	UNL/2009129	-
11	श्री अदालत वर्मा (रोल नं०-22133777), इलेक्ट्रनिक्स, अ०पि०व०	5-Dec-79	01.06.2009	UNL/2009091	-
12	श्री मनीष तिवारी (रोल नं०-21131754), इलेक्ट्रनिक्स, सामान्य	30-Jun-79	01.06.2009	UNL/2009094	-
13	श्री राजीव कुमार सिंह (रोल नं०-22123224), मैकेनिकल, सामान्य	19-May-75	01.06.2009	UNL/2009080	-
14	श्री धर्मेन्द्र सिंह (रोल नं०-21121000), मैकेनिकल, अ०पि०व०	1-Jul-77	01.06.2009	UNL/2009063	-
15	श्री आशीष अग्रवाल (रोल नं०-22134015), इलेक्ट्रनिक्स, सामान्य	4-Feb-82	01.06.2009	UNL/2009043	-
16	श्री अमरेश कुमार गुप्ता (रोल नं०-22123558), मैकेनिकल, अ०पि०व०	4-Jul-77	01.06.2009	UNL/2009128	-
17	श्री आनन्द सुमन (रोल नं०-22123249), मैकेनिकल, सामान्य	20-May-74	01.06.2009	UNL/2009064	-
18	श्री महेश प्रताप (रोल नं०-22134187), इलेक्ट्रनिक्स, अनु० जाति	20-May-82	01.06.2009	UNL/2009101	-
19	श्री पुनीत मिश्रा (रोल नं०-21132082), इलेक्ट्रनिक्स, सामान्य	12-Apr-79	01.06.2009	UNL/2009130	(त्यागपत्रित)
20	श्री सचिन चौहान (रोल नं०-21120809), मैकेनिकल, सामान्य	22-Oct-81	01.06.2009	UNL/2009099	-



21	श्री अजय प्रताप सिंह (रोल नं०-24135225), इलेक्ट्रिकल, सामान्य	15-May-81	01.06.2009	UNL/2009054	-
22	श्री सुबोध कुमार द्विवेदी (रोल नं०-23124586), मैकेनिकल, सामान्य	2-Jun-79	01.06.2009	UNL/2009024	-
23	श्री कृष्ण कान्त समेले (रोल नं०-21121580), मैकेनिकल, सामान्य	10-Nov-76	01.06.2009	UNL/2009127	-
24	श्री विकास कुमार श्रीवास्तव (रोल नं०-24145331), कम्प्यूटर, सामान्य	13-Jul-79	01.06.2009	UNL/2009058	-
25	श्री श्याम जी लाल श्रीवास्तव (रोल नं०-22112945), इलेक्ट्रिकल, सामान्य	2-Aug-81	01.06.2009	UNL/2009088	-
26	श्री दुर्गेश मिश्र (रोल नं०-24125014), मैकेनिकल, सामान्य	12-Nov-76	01.06.2009	UNL/2009022	-
27	श्री अमित रंजन (रोल नं०-21121622), मैकेनिकल, सामान्य	1-Mar-82	01.06.2009	UNL/2009030	-
28	श्री राजीव कुमार झा (रोल नं०-21121537), मैकेनिकल, सामान्य	4-Jun-77	01.06.2009	UNL/2009028	-
29	श्री अरुण कुमार सिंह (रोल नं०-22123430), मैकेनिकल, अनु० जाति	2-Jul-80	01.06.2009	UNL/2009048	-
30	श्री विनोद थापा (रोल नं०-21121509), मैकेनिकल, सामान्य	25-Dec-83	01.06.2009	UNL/2009068	(त्यागपत्रित)
31	श्री सुनील कुमार सिंह (रोल नं०-21142509), कम्प्यूटर, सामान्य	15-May-83	01.06.2009	UNL/2009076	-
32	श्री पंकज कुमार (रोल नं०-21121545), मैकेनिकल, सामान्य	1-Jan-76	01.06.2009	UNL/2009025	-
33	श्री अमित कुमार सिंह (रोल नं०-22123676), मैकेनिकल, सामान्य	5-Jul-82	01.06.2009	UNL/2009093	-
34	श्री उमाकान्त दिवाकर (रोल नं०-24125089), मैकेनिकल, अनु० जाति	14-Aug-83	01.06.2009	UNL/2009047	-
35	श्री विनोद कुमार यादव (रोल नं०-21121590), मैकेनिकल, अ०पि०व०	15-Aug-82	01.06.2009	UNL/2009027	-
36	श्री किसलय श्रीवास्तव (रोल नं०-22123607), मैकेनिकल, सामान्य	15-Jul-78	01.06.2009	UNL/2009096	-
37	श्री रिज्वी एहसन (रोल नं०-23124652), मैकेनिकल, सामान्य	14-Aug-82	01.06.2009	UNL/2009021	-

38	श्री जामवन्त प्रसाद (रोल नं०-21121570), मैकेनिकल, सामान्य	29-Jul-77	01.06.2009	UNL/2009040	-
39	श्री संदीप अग्रवाल (रोल नं०-21121208), मैकेनिकल, सामान्य	15-Dec-79	01.06.2009	UNL/2009075	-
40	श्री अवधेश कुमार सिंह (रोल नं०-24124957), मैकेनिकल, अनु० जाति	7-Aug-78	01.06.2009	UNL/2009033	-
41	श्री राकेश कुमार (रोल नं०-21121039), मैकेनिकल, अ०पि०व०	2-Jul-73	01.06.2009	UNL/2009071	-
42	श्री अखिलेश कुमार वर्मा (रोल नं०-21132361), इलेक्ट्रनिक्स, अ०पि०व०	28-Nov-82	01.06.2009	UNL/2009036	(दिवंगत)
43	श्री पंकज गुप्ता (रोल नं०-22133742), इलेक्ट्रनिक्स, अ०पि०व०	27-Nov-78	01.06.2009	UNL/2009061	-
44	श्री प्रमोद कुमार (रोल नं०-21121535), मैकेनिकल, अनु० जाति	5-Jun-76	01.06.2009	UNL/2009066	-
45	श्री गोपाल कृष्ण (रोल नं०-22113055), इलेक्ट्रिकल, अ०पि०व०	23-Oct-73	01.06.2009	UNL/2009023	-
46	विजय आनन्द (रोल नं०-22134086), इलेक्ट्रनिक्स, अनु० जाति	22-Mar-78	01.06.2009	UNL/2009110	-
47	श्री रवीन्द्र कुमार (रोल नं०-21142445), कम्प्यूटर, सामान्य	9-Aug-83	01.06.2009	UNL/2009045	-
48	श्री मैया राम पटेल (रोल नं०-21132047), इलेक्ट्रनिक्स, अ०पि०व०	10-Jun-76	01.06.2009	UNL/2009100	-
49	श्री ललित कुमार सिंह (रोल नं०-21121548), मैकेनिकल, अनु० जाति	17-Sep-76	01.06.2009	UNL/2009125	-
50	श्री अनिल कुमार निगम (रोल नं०-22113071), इलेक्ट्रिकल, सामान्य	6-Mar-80	01.06.2009	UNL/2009029	-
51	श्री ललित मोहन वर्मा (रोल नं० 21131910), इलेक्ट्रनिक्स, अ०पि०व०	10-Mar-80	01.06.2009	UNL/2009105	-
52	श्री अमरनाथ (रोल नं०-24125120), मैकेनिकल, अनु० जाति	15-Feb-73	01.06.2009	UNL/2009031	-
53	श्री अमरनाथ यादव (रोल नं०-24125110), मैकेनिकल, अ०पि०व०	1-Sep-76	01.06.2009	UNL/2009109	-
54	श्री बृजेन्द्र सिंह (रोल नं०-22123214), मैकेनिकल, अ०पि०व०	10-Jul-73	01.06.2009	UNL/2009085	-

कमरा:.....27

25/11/2021

55	श्री रिकेश कुमार (रोल नं०-21132138), इलेक्ट्रिकल, अनु० जाति	19-Jul-84	01.06.2009	UNL/2009074	-
56	श्री श्याम सिंह (रोल नं०-24124906), मैकेनिकल, अ०पि०व०	10-Oct-78	01.06.2009	UNL/2009046	-
57	श्री अजय कुमार द्विवेदी (रोल नं०-22113080), इलेक्ट्रिकल, सामान्य	11-Dec-82	01.06.2009	UNL/2009118	-
58	श्री सुवास चन्द्र सरोज (रोल नं०-22123328), मैकेनिकल, अनु० जाति	6-May-72	01.06.2009	UNL/2009070	-
59	श्री राजेश कुमार (रोल नं०-24125031), मैकेनिकल, अनु० जाति	5-Jul-82	01.06.2009	UNL/2009034	-
60	श्री बृजेश सिंह यादव (रोल नं०-24145317), कम्प्यूटर, अ०पि०व०	30-Jan-84	01.06.2009	UNL/2009082	-
61	श्री सुमन्त कुमार गौतम (रोल नं०-21121401), मैकेनिकल, अनु० जाति	1-Jul-84	01.06.2009	UNL/2009032	-
62	श्री सुनील कुमार (रोल नं०-22134171), इलेक्ट्रिकल, अनु० जाति	5-Sep-80	01.06.2009	UNL/2009053	-
63	श्री अशोक कुमार (रोल नं०-21120803), मैकेनिकल, अ०पि०व०	3-Feb-76	01.06.2009	UNL/2009102	-
64	श्री कुन्दन तिवारी (रोल नं०-21110629), इलेक्ट्रिकल, सामान्य	12-Nov-81	01.06.2009	UNL/2009086	-
65	श्री शैलेन्द्र सिंह (रोल नं०-21110165), इलेक्ट्रिकल, सामान्य	1-Dec-80	01.06.2009	UNL/2009037	-
66	श्री राम दरश राम (रोल नं०-22123699), मैकेनिकल, अनु० जाति	9-Jun-81	01.06.2009	UNL/2009083	-
67	श्री संदीप कुमार यादव (रोल नं०-21120787), मैकेनिकल, अ०पि०व०	15-Apr-83	01.06.2009	UNL/2009084	-
68	श्री अशोक कुमार (रोल नं०-22123141), मैकेनिकल, अनु० जाति	1-Jul-81	01.06.2009	UNL/2009079	-
69	श्री मृत्युञ्जय गुप्ता (रोल नं०-21121201), मैकेनिकल, अ०पि०व०	20-Sep-79	01.06.2009	UNL/2009072	-
70	श्री दिनेश कुमार रंजन (रोल नं०-21120771), मैकेनिकल, अनु० जाति	15-Apr-84	01.06.2009	UNL/2009114	-

29/11/2024

71	सुश्री रीतू सिंह (रोल नं०-22112893), इलेक्ट्रिकल, सामान्य	5-Aug-76	01.06.2009	UNL/2009121	-
72	श्री मिथिलेश कुमार तिवारी (रोल नं०-24114734), इलेक्ट्रिकल, सामान्य	10-Aug-77	01.06.2009	UNL/2009035	-
73	श्री हेमन्त कुमार यादव (रोल नं०-24125140), मैकेनिकल, अ०पि०व०	1-Jan-81	01.06.2009	UNL/2009131	-
74	श्री अरविन्द चौहान (रोल नं०-24114888), इलेक्ट्रिकल, अ०पि०व०	1-Jul-82	01.06.2009	UNL/2009041	-
75	श्री ओम प्रकाश सिंह (रोल नं०-22112844), इलेक्ट्रिकल, सामान्य	10-Jan-80	01.06.2009	UNL/2009051	-
76	श्री विनय कुमार (रोल नं०-22123480), मैकेनिकल, अ०पि०व०	10-Apr-81	01.06.2009	UNL/2009073	-
77	श्री जयदीप सिंह (रोल नं०-22123376), मैकेनिकल, अ०पि०व०	28-Apr-78	01.06.2009	UNL/2009115	-
78	श्री मनीष कुमार सिंह (रोल नं०-22144259), कम्प्यूटर, अ०पि०व०	14-Aug-82	01.06.2009	UNL/2009077	-
79	श्री मो० फिरोज रफी (रोल नं०-21110053), इलेक्ट्रिकल, अ०पि०व०	15-Jul-81	01.06.2009	UNL/2009078	-
80	श्रीमती एकता ठाकुर (रोल नं०-22112961), इलेक्ट्रिकल, सामान्य	5-Dec-81	01.06.2009	UNL/2009117	-
81	श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी (रोल नं०-22112770), इलेक्ट्रिकल, सामान्य	4-Nov-81	01.06.2009	UNL/2009124	-
82	श्री पंकज चतुर्वेदी (रोल नं०-22112924), इलेक्ट्रिकल, सामान्य	5-Mar-83	01.06.2009	UNL/2009026	-
83	श्री अभय कुमार केसरवानी (रोल नं०-21110114), इलेक्ट्रिकल, सामान्य	20-Jun-82	01.06.2009	UNL/2009123	-
84	श्री जगदीश कुमार साहू (रोल नं०-24145332), कम्प्यूटर, अ०पि०व०	2-Apr-77	01.06.2009	UNL/2009106	-
85	श्री मो० रफी (रोल नं०-21110461), इलेक्ट्रिकल, सामान्य	15-Dec-78	01.06.2009	UNL/2009065	-
86	श्री मनोज कुमार (रोल नं०-21110331), इलेक्ट्रिकल, अ०पि०व०	14-May-81	01.06.2009	UNL/2009098	-
87	श्री अरुण कुमार (रोल नं०-24124985), मैकेनिकल, अनु० जाति	1-Jul-75	01.06.2009	UNL/2009113	-

29/11/2024


88	श्री अभिषेक नारायण सिंह (रोल नं०-21110037), इलेक्ट्रिकल, सामान्य	27-Jun-82	01.06.2009	UNL/2009042	-
89	श्री संदीप कुमार मिश्रा (रोल नं०-21110495), इलेक्ट्रिकल, सामान्य	28-Feb-78	01.06.2009	UNL/2009039	-
90	श्री रोहित वाघोय (रोल नं०-21110598), इलेक्ट्रिकल, सामान्य	4-May-83	01.06.2009	UNL/2009049	-
91	श्री सुरेन्द्र वर्मा (रोल नं०-22144280), कम्प्यूटर, अ०पि०व०	1-Aug-79	01.06.2009	UNL/2009108	-
92	श्री श्रीकान्त वर्मा (रोल नं०-21110292), इलेक्ट्रिकल, अनु० जाति	18-Jul-81	01.06.2009	UNL/2009116	-
93	श्री सुभाष चन्द्र (रोल नं०-21120977), मैकेनिकल, अ०पि०व०	15-Jul-80	01.06.2009	UNL/2009095	-
94	श्री सूर्य कुमार सागर (रोल नं०-22144326), कम्प्यूटर, अनु० जाति	24-May-82	01.06.2009	UNL/2009052	-
95	श्री सुनील कुमार (रोल नं०-24114873), इलेक्ट्रिकल, अनु० जाति	25-Apr-81	01.06.2009	UNL/2009104	-
96	श्री पुष्पेन्द्र सिंह (रोल नं०-21110517), इलेक्ट्रिकल, अ०पि०व०	18-Jul-82	01.06.2009	UNL/2009067	-
97	श्री संजीव यादव (रोल नं०-21142477), कम्प्यूटर, अ०पि०व०	10-Aug-78	01.06.2009	UNL/2009044	-
98	श्री नवीन कुमार चौधरी (रोल नं०-21110631), इलेक्ट्रिकल, अ०पि०व०	09-Apr-82	01.06.2009	UNL/2009089	-
99	श्री सुनील कुमार (रोल नं०-21110652), इलेक्ट्रिकल, अनु० जाति	21-Jun-81	01.06.2009	UNL/2009055	-
100	श्री अली नवाज असलम (रोल नं०-22113017), इलेक्ट्रिकल, अ०पि०व०	30-Jun-78	01.06.2009	UNL/2009062	-
101	श्री मोहम्मद राशिद (रोल नं०-22112974), इलेक्ट्रिकल, अ०पि०व०	10-Apr-82	01.06.2009	UNL/2009090	(दिवंगत)
102	श्री विकास बोकारिया (रोल नं०-21110383), इलेक्ट्रिकल, अनु० जाति	23-Aug-82	01.06.2009	UNL/2009112	(दिवंगत)
103	श्री संघ रतन (रोल नं०-22112919), इलेक्ट्रिकल, अनु० जाति	02-Jul-74	01.06.2009	UNL/2009120	-
104	श्री अमित कुमार वर्मा (रोल नं०-21110408), इलेक्ट्रिकल, अ०पि०व०	27-Jun-83	01.06.2009	UNL/2009038	-

कमरा:.....30

29 July 2009

105	श्री मुनेन्द्र कुमार (रोल नं०-21142390), कम्प्यूटर, अनु० जाति	15-Jul-83	01.06.2009	UNL/2009057	-
106	श्री अखिलेश कुमार (रोल नं०-21110014), इलेक्ट्रिकल, अनु० जाति	01-Oct-83	01.06.2009	UNL/2009059	-
107	श्री नरेन्द्र कुमार (रोल नं०-21142386), कम्प्यूटर, अनु० जाति	10-Mar-83	01.06.2009	UNL/2009060	-
108	श्री वैभव प्रताप सिंह (रोल नं०-22112771), इलेक्ट्रिकल, अ०पि०व०	16-Apr-82	01.06.2009	UNL/2009107	-
109	श्री राम प्यारे (रोल नं०-22112798), इलेक्ट्रिकल, अ०पि०व०	01-Sep-81	01.06.2009	UNL/2009103	-
110	श्री सुरेन्द्र मिश्रा पुत्र स्व० श्री राम सुफल मिश्रा	01-Mar-58	16.12.2008	UNL/2009019	(सेवानिवृत्त)
111	श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी पुत्र श्री चन्द्र भूषण त्रिपाठी	31-Mar-58	16.12.2008	UNL/2009018	(सेवानिवृत्त)
112	सुश्री अन्जना रानी पुत्री स्व० श्री दलगंजन सिंह (सेवानिवृत्त)	8-Dec-51	16.12.2008	UNL/2009019	(सेवानिवृत्त)
113	श्री के० उमापति पुत्र स्व० श्री वी० कोदण्डरमन	24-Feb-63	16.12.2008	UNL/2009017	-
114	श्री जंगी लाल पुत्र स्व० श्री राम नरेश पटेल	2-Jul-58	16.12.2008	UNL/2009016	(सेवानिवृत्त)

5- उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में निवेशित याचिका सं०: 27604/2016 अवधेश कुमार सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा याचिका सं०-28494/2016 राजीव कुमार श्रीवास्तव व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य के अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन निर्गत की जा रही है।


  
प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 4553(1)मा०सं०(01)/वि०उ०नि०लि०/2021-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर।
- 4- मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, अनपरा/ओबरा/हरदुआगंज/पारीछा/पनकी/जवाहरपुर, तापीय विद्युत परियोजना, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, अनपरा/ओबरा (सोनभद्र)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पारीछा (झाँसी)/पनकी (कानपुर)/मलावन (ऐटा)।
- 5- मुख्य अभियन्ता, तापीय परिचालन/ईंधन/वाणिज्य/पीपीएमएम/आर० एण्ड एम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद-नव परियोजनाएँ, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6- मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी/प्रत्यावेदनकर्ता।
- 8- कट फाईल।

आज्ञा से

  
(नीरज कुमार तिवारी)

अधिशाली अभियन्ता (मा०सं०-01)